मूलनिवासी टाईम्स

फुले-अम्बेडकरी आंदोलन के उद्देश्य, विचारधारा, सिद्धांत तथा मूल्यों के प्रति समर्पित राष्ट्रीय हिन्दी पाक्षिक

संपादक : मनोज कुमार, वर्ष : 21, अंक : 15, दिनांक : 1 से 15 अगस्त, 2024, पृष्ठ : 12, वार्षिक सदस्यता : 240/- मूल्य : 10 रुपये

उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून में बीएसफोर क्लस्टर अधिवेशन के सफल आयोजन हेतु बामसेफ और आफशूट विंग्स के कार्यकर्ताओं की आवश्यक बैठक संपन्न

मूनिटा संवाददाता, देहरादूनः 21 जुलाई 2024 रविवार को उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून में बीएस-4 (भारतीय संविधान, सम्मान, सुरक्षा, संवर्धन) राष्ट्रव्यापी महा जन जागरण अभियान के तहत दिनांक 18 अगस्त 2024 को जिला देहरादून में होने जा रहे क्लस्टर अधिवेशन को सफल बनाने हेतु एक आवश्यक बैठक डॉ. भीमराव अम्बेडकर भवन, सेंवला कला माजरा, देहरादून उत्तराखंड में रखी गई।

बैठक की अध्यक्षता जिला क्लस्टर प्रभारी माननीय ओ.पी.आर्य (राज्य उपाध्यक्ष बामसेफ उत्तराखंड) द्वारा की गई। बैठक में उत्तराखंड राज्य प्रभारी मू. सीताराम जी (राष्ट्रीय मिडिया प्रभारी बामसेफ), मू. भूपेन्द्र सिंह (राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मककम), मू. महेंद्र सिंह (सीईसी सदस्य मककम), मू. जितेन्द्र सिंह बुटोईया (सीईसी सदस्य एमएसएस) के साथ-साथ उत्तराखंड बामसेफ राज्य कार्यकारिणी के एसईसी सदस्य मू. पी.एन. बेनीवाल (पूर्व राज्य अध्यक्ष) मू. संजय कुमार (एसईसी सदस्य) मू. विजय द्रोणी (एसईसी सदस्य), मू. कुलदीप कटारिया (राज्य मिडिया प्रभारी), मू. राजेन्द्र गौतम (एसईसी सदस्य), मू. सुदेश गौतम (राज्य प्रशिक्षण सचिव) मू. मनीष कुमार (राज्य कोषाध्यक्ष) तथा आफशूट विंग्स के मू. बीपी सिंह (राज्य महासचिव मककम), मू. डा. परमकिर्ती (राज्य उपाध्यक्ष मककम) मू. धनश्याम सिंह (राज्य उपाध्यक्ष एमएसएस) और जिला कार्यकारिणी बामसेफ देहरादून के जिला अध्यक्ष मू. शिवराम सिंह, महासचिव मू. सतीश हनुमंत जी, मू. प्रदीप कुमार, मू. संगीता सिंह, मू. बालेश्वर मूर्थल, मू. गौरव कुमार, मू. रंजन कल्याण, मू. हर्षवर्धन नखोलिया, मू. विजयपाल, मूलनिवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ जिला कार्यकारिणी के

जिला अध्यक्ष मू. सुशील कुमार, महासचिव मू. पवन कुमार, मू. श्याम ब्रिक्स, मू. कुलभूषण कुमार, मू. संजीव कुमार, मूलनिवासी संघ जिला कार्यकारिणी के जिला अध्यक्ष मू. चन्द्रपाल सिंह, मू. मगन सिंह, मू. पल्टूराम, जिला अध्यक्ष पीपीआई डी मू. नरेशचंद्र आदि मौजूद रहे।

बैठक में बीएस-4 जिला क्लस्टर अधिवेशन को सफल बनाने हेतु चर्चा की गई जिसमें क्लस्टर अधिवेशन के वेन्यू का चयन तथा विभिन्न प्रकार की कमेटियां बनाई गई तथा जिम्मेदारीयां तय की गई।

बीएस-4 पर कार्यकर्ताओं में अपने विचार व्यक्त करते हुए मू. सीताराम जी ने बताया कि अगस्त माह में पूरे देश के लगभग 18 प्रमुख राज्यों के लगभग 200 जिलों में बीएस फोर जिला क्लस्टर अधिवेशन किये जायेंगे। तथा हर जिले में बामसेफ और बामसेफ के आफशूट विंग्स के माध्यम से लगभग 50,000 (पचास हजार) लोगों से सम्पर्क, संवाद और सुसंवाद स्थापित किया जाएगा और संविधानवाद, फूले अम्बेडकरी विचारधारा और मूलनिवासी पहचान को जन-जन तक ले जाया जायेगा।

अन्य वक्ताओं ने बीएस-4 के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि बामसेफ और उसके आफशूट के द्वारा वर्ष 2018 से बीएस-4 राष्ट्रव्यापी महा जन जागरण अभियान पूरे भारत में चलाया जा रहा है तथा इस अभियान के माध्यम से मूलनिवासी बहुजन समाज को संविधान और लोकतंत्र के समर्थन में सामाजिक और राजनैतिक चेतना के प्रति जागरूक किया जा रहा है हम सभी को तन-मन-धन से इस राष्ट्रव्यापी अभियान को निरंतर चलाए रखना जरूरी है और जल्द से जल्द कूपन्स, पम्पलेट्स लेकर फील्ड में निकलना चाहिए ताकि ये अभियान और क्लस्टर अधिवेशन सफल हो। बीएस फोर अभियान समय की मांग है इस अभियान से हमें भारत के संविधान को पूर्णरूपेण लागू करना होगा। बैठक में लगभग 60-70 कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। अन्त में अध्यक्ष महोदय ने सभी का धन्यवाद किया।■

रिपोर्ट - कुलदीप कटारिया (राज्य मिडिया प्रभारी बामसेफ उत्तराखंड)।

इंटरनेशनल आईकॉन अवार्ड से सम्मानित हुए बामसेफ के कार्यकर्ता मू. श्रवण कुमार बौद्ध

मूनिटा संवाददाताः हाल ही में बामसेफ के कर्मठ कार्यकर्ता मूलनिवासी श्रवण कुमार बौद्ध को इंटरनेशनल आईकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया हैं। मध्य प्रदेश के रहने वाले मूलनिवासी श्रवण कुमार बौद्ध को समाज सेवा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया हैं।

संविधान के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए बामसेफ वर्ष वर्ष 2018 से बीएस-4 यानी भारतीय संविधान, सम्मान, सुरक्षा, संवर्धन राष्ट्रव्यापी महा जन जागरण अभियान चला रही हैं। इस संविधान के तहत बामसेफ और इसके ऑफ शूट विंग्स जैसे मूलनिवासी संघ, मूलनिवासी विद्यार्थी संघ, मूलनिवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ और मूलनिवासी सभ्यता संघ के कार्यकर्ता घर-घर जाकर संविधान और उसमें दिए उनके मौलिक अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक कर रहें हैं।

मूलनिवासी श्रवण कुमार बौद्ध भी बामसेफ के कई कर्मठ कार्यकर्ताओं में से एक हैं। जो शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय दादर कुर्मियान में अध्यापन का कार्य करते हैं। मूलनिवासी श्रवण कुमार बौद्ध अपनी सारी छुट्टियों में सामाजिक कार्य करते हैं। भारतीय संविधान, सम्मान, सुरक्षा, संवर्धन राष्ट्रव्यापी महा जन जागरण अभियान के अंतर्गत मूलनिवासी श्रवण कुमार बौद्ध गांव - गांव जाकर 'संविधान की पाठशाला' के नाम पर कई सालों से संविधान जागरूकता का कार्य कर रहें हैं। इनकी इसी सराहनीय कार्य के लिए उन्हें इंटरनेशनल आईकॉन अवार्ड जैसे सम्मान से सम्मानित किया गया हैं।

उनके सम्मानित होने पर बामसेफ, मूलनिवासी संघ, मूलनिवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ, मूलनिवासी विद्यार्थी संघ और मूलनिवासी सभ्यता संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों समेत मूलनिवासी बहुजन समाज के सैकड़ो लोगो ने उन्हें बधाई दी हैं।■

अधिकारों के लिए संघर्ष करना और स्व सम्मान के साथ जीना ही श्रेष्ठ जीवन है - डॉ. बी.आर. अम्बेडकर

मूलनिवासी संघ प्रदेश इकाई हरियाणा की नई कार्यकारिणी का गठन सफलतापूर्वक संपन्न

मूनिटा संवाददाता, कुरूक्षेत्रः दिनांक 29 जून, 2024 को मूलनिवासी संघ, प्रदेश इकाई हरियाणा की नई कार्यकारिणी का गठन सफलतापूर्वक सम्पन्न किया गया। जिसमें मूलनिवासी हवा सिंह भोरिया को मूलनिवासी संघ, प्रदेश इकाई हरियाणा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

29 जून, 2024 दिन शनिवार को मूलनिवासी संघ, प्रदेश इकाई हरियाणा की एक बैठक सफलतापूर्वक संपन्न की गई। यह बैठक हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित पिपली में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मूलनिवासी संघ के राष्ट्रीय कार्यालय सचिव सह हरियाणा प्रदेश के प्रभारी मू. संधीर कुमार बौद्ध ने की। इस बैठक में मूलनिवासी संघ, प्रदेश इकाई हरियाणा की वर्ष 2023-24 की कार्यकारिणी को भंग करके वर्ष 2024-25 के लिए नई कार्यकारिणी का गठन किया गया।

कार्यक्रम में मूलनिवासी संघ, प्रदेश इकाई हरियाणा के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष मू. एडवोकेट जिले सिंह सभरवाल ने वर्ष 2023-24 के लेखा-जोखा की रिपोर्ट सदन के सामने प्रस्तुत की, जिसको सर्व सहमति से पारित किया गया। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने वर्ष 2023-24 की पूरी कार्यकारिणी भंग करने की घोषणा की तथा वर्ष 2024-25 के लिए नई कार्यकारिणी के गठन का प्रस्ताव सदन के सामने रखा।

नई कार्यकारिणी के गठन के लिए बामसेफ के केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य और हरियाणा के प्रभारी डॉक्टर कर्मवीर टंडन, मूलनिवासी संघ, प्रदेश इकाई हरियाणा के प्रभारी मू. संधीर कुमार बौद्ध, बामसेफ, प्रदेश इकाई हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष मूलनिवासी कर्मवीर सिंह तथा मूलनिवासी संघ के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष मूलनिवासी जिले सिंह सभरवाल ने मिलकर संगठन की प्रणाली के अनुसार मूलनिवासी हवा सिंह भोरिया को मूलनिवासी संघ, प्रदेश इकाई हरियाणा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। इसके बाद मूलनिवासी संघ, प्रदेश इकाई हरियाणा की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में मूलनिवासी डॉ. उदय सिंह, मूलनिवासी कमलकांत वर्मा, मूलनिवासी जिले सिंह सभरवाल, मूलनिवासी बसंती देवी और मूलनिवासी पाल सिंह चौहान को नियुक्त किया गया।

वहीं प्रदेश महासचिव के रूप में मूलनिवासी रविंद्र मोहन, प्रदेश कोषाध्यक्ष के रूप में मूलनिवासी कृष्ण लाल, प्रदेश कार्यालय सचिव के रूप में मूलनिवासी अभिरंजन गौतम, प्रदेश संगठन सचिव के रूप में मूलनिवासी भगवान सिंह और मूलनिवासी जगबीर मेहरा को नियुक्त किया गया। जबकि प्रदेश मीडिया सचिव के रूप में मूलनिवासी जगजीत सिंह को नियुक्त किया गया। वहीं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य के रूप में मूलनिवासी पूना राम, मूलनिवासी रामकिशन, मूलनिवासी सज्जन बासवाला, मूलनिवासी ब्रह्म प्रकाश, मूलनिवासी संदीप कड़वासरा, मूलनिवासी सुनीता सभरवाल और मूलनिवासी तेजभान बिघाना को नियुक्त किया गया।

इस अवसर पर बामसेफ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मू. सुरेश द्रविड़ समेत बामसेफ और मूलनिवासी संघ के कई पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे।■

बामसेफ प्रदेश इकाई उत्तराखंड की प्रदेश कार्यकारिणी का गठन सफलतापूर्वक सम्पन्न

मूनिटा संवाददाता, हल्द्वानीः दिनांक 29 जून, 2024 दिन शनिवार को उत्तराखंड के हल्द्वानी (नैनीताल) में बामसेफ प्रदेश इकाई उत्तराखंड की वार्षिक आम सभा की बैठक की गई। जिसमें वर्ष 2023-24 की प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर वर्ष दो 2024-25 के लिए नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बामसेफ के राष्ट्रीय मिडिया प्रभारी सह उत्तराखंड राज्य के प्रभारी मूलनिवासी सीताराम ने की।

मूलनिवासी सीताराम की अध्यक्षता में बामसेफ प्रदेश इकाई उत्तराखंड की वर्ष 2023-2024 की कार्यकारिणी को भंग कर वर्ष 2024-2025 की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। जिसमें बामसेफ प्रदेश इकाई उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मूलनिवासी डॉ. सचिन कुमार को नियुक्त किया गया। जबकि राज्य उपाध्यक्ष के रूप में मूलनिवासी आदेश गौतम, मूलनिवासी धर्मवीर सैलानी, मूलनिवासी ओ.पी.आर्य, मूलनिवासी डॉ. ईश्वर सिंह और मूलनिवासी दिनेश टम्टा जी को नियुक्त किया गया। वहीं राज्य महासचिव के रूप में मूलनिवासी देवेन्द्र कुमार और राज्य कोषाध्यक्ष के रूप में मूलनिवासी मनीष कुमार को नियुक्त किया गया। संगठन सचिव के रूप में मूलनिवासी सुनीता आर्य, मूलनिवासी पवन कुमार, मूलनिवासी संजय कुमार, मूलनिवासी महेश मुरारी और मूलनिवासी दौलत राम को नियुक्त किया गया। वहीं कार्यालय सचिव के रूप में मूलनिवासी खीमराम आर्य को और मिडिया प्रभारी के रूप में मूलनिवासी कुलदीप कटारिया को नियुक्त किया गया। जबकि कार्यकारिणी सदस्य के रूप में मूलनिवासी पी.एन. बेनीवाल, मूलनिवासी अनिल कुमार टम्टा, मूलनिवासी राजीव रंजन, मूलनिवासी एन. पी. आर्या, मूलनिवासी इन्द्र लाल, मूलनिवासी हरीश राम विश्वकर्मा, मूलनिवासी राजेन्द्र गौतम, मूलनिवासी बी.आर. बौद्ध, मूलनिवासी भुवनेश्वर चांदनी मैडम, मूलनिवासी विनय कोहली, मूलनिवासी शंकर लाल, मूलनिवासी विजय द्रोणी, मूलनिवासी देवेन्द्र अग्निहोत्री, मूलनिवासी मनोज आर्य और मूलनिवासी एस.आर. आर्य को नियुक्त किया गया।

इस आम-सभा में मूलनिवासी दयाराम समेत बामसेफ व इसके ऑफशूट विंग के लगभग सत्तर से अधिक कार्यकर्ताओं ने बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।■

बामसेफ प्रदेश इकाई उत्तर प्रदेश (मध्य) की कार्यकारिणी का गठन सफलतापूर्वक संपन्न

मूनिटा संवाददाता, बरेलीः दिनांक 30 जून, 2024 को बामसेफ प्रदेश इकाई उत्तर प्रदेश (मध्य) की एक आम सभा संपन्न हुई, जिसमें वर्ष 2024-25 के लिए बामसेफ प्रदेश इकाई उत्तर प्रदेश (मध्य) की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। जिसमे मूलनिवासी शैलेंद्र मणि को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया।

30 जून, 2024 को उत्तर प्रदेश के बरेली में स्थित जय भीम छात्रावास में बामसेफ प्रदेश इकाई उत्तर प्रदेश (मध्य) की एक आम सभा सफलतापूर्वक संपन्न की गई। जिसकी अध्यक्षता बामसेफ के राष्ट्रीय संगठन सचिव मूलनिवासी शर्मिष्ठा गौतम ने की। कार्यक्रम में बामसेफ प्रदेश इकाई उत्तर प्रदेश (मध्य) की वर्ष 2023-2024 की प्रगति रिपोर्ट तथा वर्षभर का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। बामसेफ प्रदेश इकाई उत्तर प्रदेश (मध्य) के निवर्तमान अध्यक्ष मूलनिवासी इंजीनियर मोतीलाल गौतम ने उपस्थित सभी साथियों का धन्यवाद किया और वर्ष 2023-24 की कार्यकारिणी को भंग करने की घोषणा की।

बामसेफ की राष्ट्रीय संगठन सचिव सह प्रभारी उत्तर प्रदेश (मध्य) मूलनिवासी शर्मिष्ठा गौतम ने उत्तर प्रदेश (मध्य) की नई कार्यकारिणी बनाने हेतु मूलनिवासी शैलेन्द्र मणि के रूप में नये अध्यक्ष की घोषणा की। जिसके बाद वर्ष 2024-25 की नई कार्यकारिणी गठित करने हेतु पांच सदस्यीय कमेटी बनाई गई, जिसमें मूलनिवासी शर्मिष्ठा गौतम, मूलनिवासी मोतीलाल गौतम, मूलनिवासी वीर बहादुर, मूलनिवासी शैलेंद्र मणि और मूलनिवासी एस.सी. दास शामिल हुए। समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लेकर वर्ष 2024-25 के लिए नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष के रूप में मू. शैलेन्द्र मणि, राज्य उपाध्यक्ष के रूप में मू. गायत्री मैडम, मू. सुरेश कुमार, मू. एस. सी. दास और मू. वीर बहादुर जी को नियुक्त किया गया। जबकि महासचिव के रूप में मू. विशाल सिंह, कोषाध्यक्ष के रूप में मू. एम. सी. जाटव, प्रशिक्षण सचिव के रूप में मू. मोतीलाल गौतम, मीडिया प्रभारी के रूप में मू. प्रफुल्ल भारती और संगठन सचिव के रूप में मू. जयप्रकाश और मू. बी. के. आर्य जी को नियुक्त किया गया। वहीं कार्यकारिणी सदस्य के रूप में मू. एम.एस. लाल, मू. धर्मेंद्र कुमार और मू. सुभाष भास्कर को नियुक्त किया गया।

गठित नई कार्यकारिणी ने अपना कार्यभार संभालते हुए आगामी वर्ष 2024-2025 में होने वाले क्लस्टर सम्मेलन एवं समस्त कार्यक्रमों की सूचना सदन के सामने रखी।■

केंद्र-राज्य सरकार को अनुसूचित जातियों की सूची से छेड़छाड़ का हक नहीं, अनुच्छेद 341 पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

उत्तर प्रदेश में भाजपा के राजनाथ सिंह और बिहार में नीतीश कुमार ने अनुसूचित जाति की सूची से अपने निहित राजनीतिक स्वार्थ में छेड़छाड़ की तमाम कोशिशें की लेकिन अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की फाइनल व्याख्या कर दिया है तो फिर इसके बाद संविधान विरोधियों की हरकतों पर लगाम लगनी चाहिए। आंध्र प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश मे भी कभी ओबीसी को तो कभी एससी को तोड़ने या लिस्ट में नई जतियों को जोड़ने की तमाम संविधान विरोधी मुहिम हो चुकी है। ओबीसी, एससी, एसटी का अधिकार ज्यादातर सवर्ण जातियाँ हड़पी हुई है लेकिन हमेशा यह दिखाकर कि ओबीसी, एससी, एसटी मे कुछ प्रभावशाली जाति ही सारा फायदा उठा रही है; ओबीसी, एससी, एसटी को और टुकड़े मे तोड़ने की कोशिश होती रहती है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद के बनाए कानून के अलावा राज्यों या केंद्र सरकार के पास संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित अनुसूचित जातियों की सूची में छेड़छाड़ करने की कोई क्षमता, अधिकार या शक्ति नहीं है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने सोमवार 15 जुलाई को बिहार सरकार की ओर से 1 जुलाई, 2015 को पारित उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि अत्यंत पिछड़ी जाति तांती-तंतवा को अनुसूचित जातियों की सूची में पान/सवासी जाति के साथ शामिल किया जाए। पीठ ने कहा है कि यह स्पष्ट रूप से अवैध और गलत है। पीठ ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, वर्तमान मामले में राज्य की कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण और सांविधानिक प्रावधानों के विरुद्ध पाई गई है। राज्य को इस शरारत के लिए माफ नहीं किया जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत सूची में शामिल अनुसूचित जातियों के सदस्यों को वंचित करना एक गंभीर मुद्दा है। अनुच्छेद 341 का हवाला देते हुए पीठ ने कहा, अनुच्छेद और विशेष रूप से उप-खंड 2 को सरलता से पढ़ने से दो बातें स्पष्ट हैं। पहली, खंड-1 के अंतर्गत अधिसूचना के अंतर्गत निर्दिष्ट सूची को केवल संसद से बनाए गए कानून के जरिये ही संशोधित या परिवर्तित किया जा सकता है। दूसरी बात, यह इस पर रोक लगाता है कि संसद से बने कानून के अलावा उप-खंड-1 के अंतर्गत जारी अधिसूचना को किसी भी बाद की अधिसूचना के जरिये बदला नहीं जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, साफ है कि न तो केंद्र सरकार और न ही राष्ट्रपति, राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में जातियों को निर्दिष्ट करने वाली खंड-1 के अंतर्गत जारी अधिसूचना में कोई संशोधन या परिवर्तन कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा, यह अनुच्छेद केवल जातियों, नस्लों या जनजातियों से संबंधित नहीं है, बल्कि जातियों, नस्लों या जनजातियों के हिस्से या समूहों से भी संबंधित है।

पटना हाईकोर्ट ने राज्य के फैसले को मान लिया था -

पीठ ने कहा, किसी जाति, नस्ल या जनजाति को शामिल करने या बाहर करने के लिए संसद से बनाए गए कानून के तहत ही काम करना होगा। अदालत ने पटना हाईकोर्ट के 3 अप्रैल, 2017 के उस आदेश के खिलाफ डॉ. भीम राव अंबेडकर विचार मंच बिहार और आशीष रजक की ओर से दायर अपील को स्वीकार कर लिया जिसमें 2015 की अधिसूचना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया था।

अनुसूचित जाति के पदों का कोटा वापस करने का बिहार सरकार को निर्देश-

अदालत ने कहा, कोई भी व्यक्ति जो इस सूची के अंतर्गत नहीं आता है और इसके योग्य नहीं है, अगर राज्य द्वारा जानबूझकर और शरारती कारणों से उसे इस तरह का लाभ दिया जाता है, तो वह अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लाभ को नहीं छीन सकता है। इस आधार पर हुई नियुक्तियां कानून के तहत रद्द की जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को निर्देश दिया कि वह एससी कोटे के उन पदों को वापस करे, जिन पर तांती-तांतवा समुदाय की नियुक्तियां की गई हैं और उन्हें अत्यंत पिछड़ा वर्ग में वापस किया जाना चाहिए।

बिहार सरकार के पास नहीं था बदलाव का अधिकार -

बिहार सरकार ने अपने कदम को उचित ठहराने का प्रयास करते हुए तर्क दिया था कि राज्य ने अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2 फरवरी, 2015 के राज्य आयोग की अनुशंसा पर ही कार्य किया है। लेकिन कोर्ट ने इस तर्क को मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि राज्य भली-भांति जानता था कि उसके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है।

लघु कथा

रद्दी

रद्दी, कबाड़ी की ठेली से चलती हुई बाजार में पहुँची। बाजार से एक होटल वाले के पास पहुँची। उसने रद्दी से खाने-पीने की वस्तुएँ पैक कर बेचनी शुरू कीं। रद्दी इठलाई। क्योंकि खाद्य वस्तुओं के साथ जुड़कर उसका मूल्य बढ़ गया, इज्ज़त बढ़ गयी। रद्दी बलखाते हुए, अपनी सुखद यात्रा तय कर रही थी। तभी अचानक एक दिन, एक आदमी के हाथ में पहुँची, उसने बड़े गुस्से में, थाने ले जाकर पटका उसे। वह बड़े भय-विस्मय में, धड़कते दिल से सोच रही थी, हाय! अब क्या होगा।'' थानेदार से, उस आदमी ने शिकायत की साहब-खाने-पीने की चीजों को भगवान के चित्रों में पैक किया जा रहा है।

रद्दी का संशय जाता रहा, खुश थी, उसे भगवान की संज्ञा मिली। उसका कुछ अनभला न होगा। फिर उस आदमी ने अपने जैसे कुछ और लोगों को थाने में, फोन से बुला लिया। भगवान को, जानबूझ कर खाने-पीने के सामानों में धड़ल्ले से बांधा जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा। यह लिखित शिकायत पुलिस के रोजनामचे में दर्ज की। फिर उन लोगों की शिकायत पर, वह दुकानदार फौरन पकड़ा गया। वह चीख-चीख कर कह रहा था-साहब रद्दी रद्दी..SSS..., पर पुलिस न मानी, उसे पीटते हुए कर रही थी, साजिश..साजिश साम्प्रदायिक सद्भाव खराब करने की।

अब रद्दी कराह रही थी, रो रही थी, तड़प रही थी, दुःखी दिल से सोच रही थी-हम अगर भगवान थे, तो किसी कबाड़ी के पास क्यों पहुँचे, कबाड़ी से होते हुए बाजार में क्यों पटके गये। बाजार में बिकते-बिकते उस होटल वाले के हाथों में जा, कतरन-करतरन होते हुए, तमाम ग्राहकों के यहाँ क्यों पहुँचे, दोष मेरा था, यह मुझ पर भगवान, छापने वाले का, या मुझे बेचने वालों का, यह असल फैसला, अब अदालत में ही पायेगा।

-सुरेश सौरभ, निर्मल नगर लखीमपुर-खीरी, उत्तर प्रदेश

महारानी अहिल्याबाई होल्कर की स्मृति दिवस 13 अगस्त पर मूलनिवासी टाईम्स परिवार की ओर से विनम्र अभिवादन!

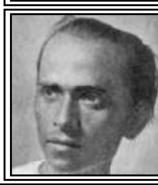

अण्णाभाऊ साठे जयंती दिवस 1 अगस्त के अवसर पर मूलनिवासी टाईम्स परिवार की ओर से हार्दिक बधाई!

पखवाड़े के दिन विशेष

1 अगस्त 1920	: शाहीर अन्ना भाऊ साठे जयंती दिवस।
3 अगस्त 1900	: क्रांतिसिंह नाना पाटिल जयंती।
7 अगस्त 1990	: अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मंडल आयोग लागू करने की घोषणा।
9 अगस्त	: विश्व मूलनिवासी दिवस
13 अगस्त 1795	: महारानी अहिल्याबाई होल्कर स्मृति दिवस।
15 अगस्त 1947	: भारत स्वतंत्रता दिवस।

केंद्र सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों को आर. एस. एस. की गतिविधियों में शामिल होने की इजाजत देने वाला शासनादेश दिनांक 9 जुलाई को चुपके से जारी कर दिया है। जैसा सर्वविदित है कि आरएसएस भाजपा का मातृ संगठन है और भाजपा आर. एस. एस. की राजनीतिक शाखा है। आरएसएस के पूर्णकालिक कार्यकर्ता बीजेपी में केंद्र और राज्य स्तर पर संगठन मंत्री का पद धारण कर बीजेपी को नियंत्रित करते हैं। इस प्रकार जेडीयू, और टीडीपी के समर्थन से चलने वाली भाजपा की केंद्र सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों को अपने मातृ संगठन आरएसएस का सदस्य बनकर भाजपा को समर्थन देने के लिए राजनीतिक कार्यवाही में भाग लेने का आदेश दे दिया है। यह गैर-संवैधानिक आदेश तुरंत वापस होना चाहिए। अभी तक सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक संगठन में काम करने की इजाजत नही थी। जो यह कह रहें है कि आरएसएस राजनीतिक संगठन नहीं है वे शातिर और धूर्त हैं। आरएसएस पूरी तरह से एक राजनीतिक संगठन है। इसलिए या तो यह शासनादेश वापस होना चाहिए या फिर सारे कर्मचारियों को स्वेच्छा से किसी भी राजनीतिक दल की गतिविधियों में शामिल होने की इजाजत मिलनी चाहिए जिससे कि सभी कर्मचारियों और सभी राजनीतिक दलों को एक समान अवसर मिल सके और किसी का पक्षपात न हो। ■

भाजपा ने पिछड़ा वर्ग सम्मान समारोह के नाम पर हरियाणा के पिछड़ों को ठगने की कोशिश क्यों की

- सुरेश द्रविड़
(राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, बामसेफ)

महेंद्रगढ़ स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय में 16 जुलाई 2024 दिन मंगलवार को 8 लाख क्रीमीलेयर की सीमा को बहाल करके भाजपा वाहवाही लूटने का प्रयास कर रही है, जबकि वास्तविकता में यह ओबीसी वर्ग के मुंह पर जोर का तमाचा है। इसको ओबीसी वर्ग को गहराई से समझने की आवश्यकता है।

आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं हरियाणा में 2016 में भाजपा ही सतासीन थी और श्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, लगभग 7 वर्ष पूर्व सरकार ने क्रीमीलेयर की सीमा को 8 लाख से घटाकर 6 लाख किया था, आखिर क्यों? आखिर इसके पीछे भाजपा की क्या मंशा रही होगी, उस समय अमित शाह इसके खिलाफ क्यों नहीं बोले? इसमें कृषि और वेतन की आय को भी जोड़ा गया, वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी उस वक्त हरियाणा में मंत्री थे, श्री नायब सैनी भी तब चुप क्यों थे? क्या श्री नायब सैनी और अमित शाह को क्रीमीलेयर की जानकारी नहीं थी? इस क्रीमीलेयर की 6 लाख की सीमा के कारण लाखों युवा आरक्षण से वंचित रह गए। भाजपा की सत्तासीन हरियाणा सरकार के इस फैसले से ओबीसी वर्ग के हजारों युवा सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में दाखिले से वंचित रह गए अर्थात उन्हें दाखिला नहीं मिल पाया। क्या ओबीसी वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए इसकी भरपाई भाजपा करेगी, इन पिछले 7 सालों में ओबीसी वर्ग के हजारों परिवार जहां आरक्षण से वंचित रह गए, वहीं वे नौकरियों के साथ-साथ ओबीसी वर्ग से संबंधित अन्य कल्याणकारी योजनाओं से भी वंचित रह गए हैं। क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी इसकी भरपाई करेंगे? अब चुनाव से पूर्व जिस मंशा से ये घोषणाएं की जा रही है, ओबीसी वर्ग अब जान गया है। क्रीमीलेयर असवैधानिक है, इसको हटाया जाए।

आज भी हरियाणा प्रदेश में 2 लाख से अधिक पद खाली पड़े हैं, क्या चुनाव से पूर्व इन पदों पर सरकार भर्ती कर पाएगी? या केवल घोषणाएं करके ही ओबीसी वर्ग को ठगा जाएगा? ओबीसी वर्ग का हजारों पदों का बैकलॉग खाली पड़ा है, क्या उसको भरा जाएगा? क्या प्रत्येक विभाग में रोस्टर रजिस्टर मेंनटेन किया जाएगा? क्या रोस्टर रजिस्टर के अनुरूप नियुक्तियां की जाएगी? क्या पदोन्नति में आरक्षण देकर ओबीसी वर्ग को उच्च पदों पर उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा? यदि ऐसा किया जाता है तो हम भी तारीफ करेंगे अन्यथा ये घोषणाएं हरियाणा के ओबीसी वर्ग के साथ केवल छलावा ही होगी। ओबीसी वर्ग को इस धोखाधड़ी से बचने का प्रयास करना चाहिए।

हमें कभी भी अपनी जाति के व्यक्ति को मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री देखकर ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि जो हमारे अधिकारों को सुनिश्चित नहीं कर सकता, वह हमारा नहीं है, क्योंकि वह जाति से हमारा हो सकता है लेकिन मानसिकता और विचार से हमारा नहीं हो सकता।

हमारा वही है जो भारत के संविधान का पालन करता है, उसे मानता है, उसके अनुसार आचरण करता है। संविधान की किताब लेकर ढोंग नहीं करता है, जिसका लोकतंत्र और संविधान में विश्वास है, वही व्यक्ति हमारा है। संविधान को वास्तविक रूप में ग्रहण करता है।

इसलिए मैं कह रहा हूं कि पिछड़ा वर्ग सम्मान समारोह के नाम पर हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी और केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह ने हरियाणा के ओबीसी वर्ग को फिर ठगने की कोशिश की है, क्योंकि इससे पूर्व पाई-पाई का हिसाब देने की बात करने वाले अमित शाह को यह उत्तर देना पड़ेगा कि जब हरियाणा सरकार और हरियाणा के उस समय के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने क्रीमीलेयर की 6 लाख की सीमा निर्धारित की, उस समय अमित शाह ने मनोहर लाल खट्टर को क्यों नहीं रोका? हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी को भी यह जवाब देना होगा कि आप उस समय चुप क्यों रहे?

गजब की बात तो यह थी इसका नोटिफिकेशन 06 जनवरी 2014 को होता है और फिर इसकी घोषणा 14 जून 2016 को की जाती है, यह इतना बड़ा षड्यंत्र ओबीसी वर्ग के साथ भाजपा की सरकार में होता रहा और ओबीसी वर्ग से संबंध रखने वाले नेता, मंत्री और विधायक तथा सांसद चुप रहे। आखिर इनकी चुप्पी का क्या कारण था? इसको जानना और समझना जरूरी है क्योंकि ये सब आपकी जाति के हो सकते हैं, लेकिन आपकी जाति के होने के बावजूद आपके किसी काम के नहीं है। इसलिए आपका वही है जो आपके हितों की रक्षा करता है।

भाजपा के इस छलावे का पर्दाफाश करो और असंवैधानिक क्रीमीलेयर को हटाने का प्रयास करो, क्योंकि भारत के संविधान में कहीं पर भी क्रीमीलेयर शब्द नहीं है, इसलिए यह असंवैधानिक है भाजपा यदि सचमुच पिछड़ों की हितैषी है तो इस क्रीमीलेयर को जड़-मूल से समाप्त करें और ओबीसी को पदोन्नति में भी आरक्षण दे, कौशल रोजगार निगम जैसे निगमों, बोर्डों को भंग करें, स्थाई रोजगार और स्थाई भर्ती का प्रबंध करें।■

गजब का सियासी खेल 'संविधान हत्या दिवस'

- दयाराम
(राष्ट्रीय अध्यक्ष, पीपीआई डी)

भारत में संविधान लागू होने की तिथि से ही अल्पजन द्विजातियों के हाथों में राजनीतिक सत्ता आ गयी। पहले कांग्रेसी द्विज फिर भाजपाई द्विज बारी-बारी से सत्ता में रहे। वर्तमान में भाजपाई द्विजों के हाथ में राजनीतिक सत्ता है। दोनों एक दूसरे पर हमलावर तो दिखाई देते हैं किन्तु दोनों के दोनों एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं। अभी केन्द्र की भाजपा सरकार की अद्‌भुत घोषणा से लोग असमंजस में हैं कि क्या सच में कांग्रेस ने सन् 1975 में देश में इमरजेंसी लगाकर संविधान की हत्या की थी जैसा कि अमर उजाला प्रयागराज 23-7-2024 को 'संविधान हत्या दिवस पर जबाब तलब' शीर्षक के अन्तर्गत समाचार छपा है कि भाजपा सरकार के गृह मंत्रालय ने 12 जुलाई 2024 को अधिसूचना जारी किया कि 25 जून 1975 को कांग्रेस ने देश में इमरजेंसी लगायी थी। भाजपा सरकार इस तिथि को 'संविधान हत्या दिवस' मनायेगी। आखिर अतीत का जख्म कुरेदने की क्या जरूरत है? इसका मतलब यही निकलता है कि कांग्रेस ने संविधान की हत्या करने का प्रयास किया और भाजपा ने संविधान को बचा लिया है और कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत है। यर्थाथ हमेशा यथार्थ ही होता है। वह अल्पमत और बहुमत का कायल नहीं होता है। गांवों में एक कहावत है, 'चोर-चोर मौसेरे भाई' सत्य की परख तथ्यों के आधार पर किया जा सकता है। हकीतन कांग्रेस और भाजपा मौसेरे भाई ही हैं। कांग्रेस ने जब 25 जून 1975 को भारत में इमरजेंसी लगायी थी तो उसने चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम जैसे तमाम बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया था। यह सच है।

भाजपा सरकार की दृष्टि में यदि इमरजेंसी का फैसला गलत था तो भाजपा ने तो बिना इर्मजेन्सी के ही दिल्ली और झारखंड के दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया था। आज भाजपा द्वारा जारी की गयी इर्मजेन्सी अघोषित इर्मजेन्सी है। अघोषित इर्मजेन्सी घोषित इमरजेंसी से अधिक खतरनाक होती है। दोनों सरकारों में कोई अन्तर नजर नहीं आता। कांग्रेस के शासन काल में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जो धर्मनिरपेक्षता का हमेशा राग अलापती थीं संविधान विरोधी ग्रन्थ रामचरितमानस की चतुश्शताब्दी समारोह का आयोजन कर धर्म की राजनीति का बहुत बड़ा खेल खेला और ब्राह्मणवाद को फलने-फूलने का अवसर प्रदान किया, वहीं दूसरी तरफ भाजपा अपने को दूध की धुली सिद्ध करने में लगी रही और संविधान बदलने का अघोषित कार्यक्रम चलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया, 'अबकी बार चार सौ के पार आयेगी भाजपा सरकार' उनके सांसद और मन्त्री लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान खुलकर बोले भाजपा को चार सौ सांसद दो, संविधान बदल देंगे। भाजपा सरकार द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के 'ला' के सेलबस में मनुस्मृति को डालना क्या संविधान की हत्या करना नहीं है? क्या भाजपा अब देश को संविधान से न चलाकर मनुस्मृति से चलाना चाहती है? क्या यह सच नहीं है कि आर्य-पुत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने धर्म की राजनीति द्वारा आर्यो के वंशजों को राजनीतिक सत्ता में प्रस्थापित करने के लिए राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद खड़ा किया? क्या यह सच नहीं है कि कांग्रेसी प्रधानमंत्री पी.बी. नरसिम्हा राव की मदद से भाजपा ने बाबरी मस्जिद ढहाया? जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सर्वोच्च सम्मान 'भारत रत्न' से नवाजा। क्या आर्य-पुत्रों द्वारा ऐतिहासिक इमारत बाबरी मस्जिद ढहाकर संविधान की हत्या नहीं की गयी? न तो उस समय राम के पैदा होने का प्रमाण मिला और न आज ही कोई प्रमाण विद्यमान है। कयास और इतिहास और यहां तक कि विज्ञान ने भी राम के पैदा होने का प्रमाण नहीं प्रस्तुत कर सका।

यदि कांग्रेस ने संविधान सम्मत लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रातिनिधिक लोकतंत्र की स्थापना नहीं किया फिर भाजपा ने क्या स्थापित कर दिया? यदि दोनों ने नहीं किया फिर संविधान के हत्यारे तो दोनों हैं। गांवों में एक कहावत है 'चट मंगनी पट ब्याह' सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण 'ईडब्ल्यूएस' बिना विलम्ब के पास हो

(शेष पृष्ठ संख्या 10 पर...)

मूलनिवासी पहचान का मुद्दा राष्ट्र में ही नहीं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गूंज रहा है

पूरे देश में मूलनिवासी संघ द्वारा प्रति वर्ष मूलनिवासी दिवस पर 9 अगस्त को मूलनिवासियों की जागृति हेतु कार्यक्रम किया जाता है। इस वर्ष 9 अगस्त 2024 को दिल्ली के जंतर-मंतर, नई दिल्ली पर मूलनिवासी संघ द्वारा राष्ट्रव्यापी जनांदोलन व सहधरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया जा रहा है।

गौरतलब है कि मूलनिवासी संघ का गठन सन् 1993 में इलाहाबाद के बामसेफ के अधिवेशन में यशकायी डी. के. खापर्डे द्वारा किया गया। मूलनिवासी संघ के गठन के साथ-साथ अभिवादन में जय भीम के साथ जय मूलनिवासी के अभिवादन का भी उद्घोष हो गया। इस मूलनिवासी विचारधारा से शैतानों (ऊंच-नीच की भावना का प्रचार करने वाले तथा हकमारी करने वाले लोग) के पेट में इतना दर्द होने लगा कि वे भी अपने को मूलनिवासी सिद्ध करने लगे। गौरतलब है कि सन् 1993 में संयुक्त राष्ट्र संघ के 'यूनाईडेड नेशन्स वर्किंग ग्रुप ऑन इन्डिजिनस पॉपुलेशन्स, UNWGIP कार्यदल' के 11वें अधिवेशन में 'मूलनिवासी घोषणा प्रारूप' को मान्यता मिली थी।

मूलनिवासी पहचान का प्रचार-प्रसार जहां बामसेफ तथा मूलनिवासी संघ द्वारा निरंतर हमारे समाज में किया जा रहा है वहीं पर कुछ मुट्ठी भर लोग जो अपने आपको विदेशी कहते थकते नहीं थे, वे भी अपने आपको मूलनिवासी कहने लगे। आरएसएस जैसे ब्राह्मणवादी संगठन को मूलनिवासी पहचान के प्रचार-प्रसार पर अपत्ति है।

बामसेफ एवं मूलनिवासी संघ द्वारा प्रचारित एवं प्रसारित मूलनिवासी विचारधारा से भयभीत आरएसए के लोग भारत में मूलनिवासी दिवस को ईसाई मिशनरियों की साजिश कहने लगे हैं। विश्व मूलनिवासी दिवस के आयोजनों से भारत के मूलनिवासियों (एससी, एसटी, ओबीसी) को जोड़ने की कोशिशों के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक गहरी साजिश देखता है। आरएसएस का मानना है कि एससी, एसटी, ओबीसी को हिंदू (ब्राह्मण धर्मी) समाज से इतर करने की यह ईसाई मिशनरियों की एक सोची-समझी चाल है। ब्राह्मणवादी लोग कहते हैं कि भारत में रहने वाले सभी मूलनिवासी हैं, लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी को ही मूलनिवासी बताकर उनको भड़काने की कोशिश हो रही है। यह भारत में रहने वाले लोगों को बांटने की साजिश है। संघ से जुड़े स्वयंसेवकों ने 9 अगस्त 2022 को आयोजित विश्व मूलनिवासी दिवस के खिलाफ 'सब भारतवासी मूलनिवासी' मुहिम चलाई थी।

9 अगस्त को विश्व मूलनिवासी दिवस (World Indigenous Day) पूरा विश्व मनाता है। मूलनिवासियों के मानव अधिकारों को लागू करने और उनके संरक्षण के लिए 9 अगस्त 1982 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक कार्य दल यूनाईडेड नेशन्स वर्किंग ग्रुप ऑन इन्डिजिनस पॉपुलेशन्स (UNWGIP, United Nations Working Group on Indigenous Populations) के उप-आयोग का गठन किया जिसकी पहली बैठक 9 अगस्त 1982 को हुई थी। इसलिए प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को ही संयुक्त राष्ट्र संघ का विश्व मूलनिवासी दिवस अपने कार्यालय में एवं अपने सदस्य देशों को मनाने का निर्देश है। मूलनिवासी समाज की समस्याओं के निराकरण हेतु विश्व के देशों का ध्यानाकर्षण करने के लिए सबसे पहले, यूएनओ ने सन् 1982 में होने वाले सम्मेलन के 300 पन्नों के एजेण्डे में रखे, जो चार भागों में बांटे गए। तीसरे भाग में रियो डि जेनेरो (ब्राजील) सम्मलेन में विश्व के मूलनिवासियों की स्थिति की समीक्षा की और चर्चा कर प्रस्ताव परित किया। गौरतलब है कि यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई और इसका मुख्यालय न्यूयार्क में है।

International Indigenous Peoples Logo

संयुक्त राष्ट्र संघ की आमसभा के द्वारा मूलनिवासी लोगों के अधिकारों की घोषणा को 13 सितम्बर, 2007 को अपनाया गया। जिसमें आम सभा (General Assembly) के 144 देशों ने घोषणा पत्र पर सहमति प्रदान की, जिसमें भारत भी शामिल था। अर्थात् भारत ने भी मूलनिवासी लोगों के हक-अधिकारों की बात स्वीकार की। इस घोषणा के समर्थन में 140 मत तथा विरोध में 4 मत (vote) डाले गए, जिसमें मुख्य रूप से आस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड स्टेट शामिल हैं। इसके बाद 9 अगस्त 2007 को संयुक्त राष्ट्र ने मूलनिवासी लोगों के अधिकार लागू किए। तभी से '9 अगस्त' अंतर्राष्ट्रीय मूलनिवासी दिवस के रूप में संसार भर में मनाया जाता है। 19वां विश्व मूलनिवासी दिवस न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 9 अगस्त 2013 को मनाया गया।

मूलनिवासी लोगों की पहचान पर परिभाषा

विश्व मूलनिवासी दिवस एवं उन्हें अधिकार देने संबंधी प्रस्ताव विश्व मजदूर संघ में 1989 मे प्रस्तुत किया गया था। प्रस्ताव क्रमांक 169 में राईट्स ऑफ इंडिजीनस एण्ड ट्राइबल पीपुल्स की बात कही गई थी। इस प्रस्ताव में ट्राइबल (जनजाति) एवं इंडिजीनस (मूलनिवासी) की परिभाषा अनुच्छेद 1 में दी गई थी जिसके तहत जनजाति लोग वे हैं जो किसी स्वतंत्र देश में अपने पृथक सामाजिक, कलाचार एवं आर्थिक स्थिति लिए राष्ट्रीय समुदाय के साथ अपनी परम्परा नियम से रह रहे हैं। जबकि मूलनिवासी की परिभाषा ऐसे लोगों के बारे में है, जिन देशो में आक्रमण कर अथवा उपनिवेश बनाकर रखा और उनकी पीढियां अपने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक संस्थाओं को बनाये रखी हैं।

मूलनिवासी लोगों की पहचान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ मापदंड निर्धारित किए गए हैं। जैसे- जाति भेदभाव, संस्कृति, धर्म, जीवन-यापन, आदिवासी समूह से संबंध, पहनावा, भाषा, जैविकता, चेतना, मूलनिवासी द्वारा स्वीकृति का आधार, देश के कुछ भागों में निवास के आधार पर मूलनिवासियों को परिभाषित किया गया है। इनमें से अधिकतर मूलनिवासी होने के मापदंड भारतीय मूलनिवासियों से अधिकांश जुड़े हुए हैं। भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों को आदिवासी की संज्ञा दी गई है। 2004 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने आदिवासियों को मूलनिवासी घोषित किया है। इसी तरह जातिय भेदभाव भारत के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ भी होता है। इस आधार पर इन जातियों को मूलनिवासी माना जा सकता है, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मापदंडों पर खरी उतरती है, जिसको नकारा नहीं जा सकता है।

मूलनिवासी लोगों की स्थिति और समस्याओं को समझने के लिए पहले अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुबंध क्रमांक 107 (1957) में एक कामचलाऊ परिभाषा दी। बाद में मार्टिन कोबो ने एक दूसरी परिभाषा दी है। हालांकि जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी मान्यता दी है। जिसे आसानी से मूलनिवासी पहचान के उद्देश्य को लेकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

''मार्टिन कोबो के अनुसार मूलनिवासी लोग, समुदाय या राष्ट्र के वे लोग हैं जिनको अपनी सीमाओं के अतिक्रमण व उपनिवेशीकरण से पहले, वहां विकसित समाजों से ऐतिहासिक निरंतता रही है और वे इन सीमाओं में या इनके हिस्सों में पनप रहे समाजों के दूसरे समुदायों से अपने आपको अलग मानते हैं। वर्तमान में वे समाज का बहिष्कृत समुदाय बनाते हैं और अपने खुद के सांस्कृतिक ढांचों, सामाजिक संस्थाओं और कानूनी तंत्रों की तरह अपनी पैतृक सीमाओं और जातिय अस्मिता, जिसके आधार पर वे लोगों के रूप में अपना निरंतर अस्तित्व बनाए हुए हैं, को सुरक्षित करने, विकसित करने और भावी पीढ़ियों को स्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्प है।''

- अवनीश कुमार
कार्यकारी संपादक, मूनिटा

संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुछेद 33

मूलनिवासी समूहों द्वारा आत्म-पहचान के महत्व को रेखांकित किया गया है। मूलनिवासी लोगों को अपने रीति-रिवाजों और परम्पराओं के मुताबिक अपनी पहचान निर्धारित करने का अधिकार है। यह किसी राष्ट्र में उनकी नागरिकता के अधिकार को बाधित नहीं करता।

'मूलनिवासी', इंडिजिनस, और एबोर्जिनल' शब्द लगभग समान अर्थ में प्रयोग में लाए जाते हैं। दोनों शब्द उन व्यक्ति समूहों से परिचित कराते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष के सबसे पुराने वाशिंदे हैं, मूलनिवासी हैं।

देश में विश्व आदिवासी दिवस के नाम पर जो आयोजन किये जा रहे हैं, उनमे कई तरह के भ्रम समाज में पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। आदिवासियों को जो अधिकार देने की बात संयुक्त राष्ट्र संघ 2007 के प्रस्ताव में उल्लेख करता है वे सारे अधिकार भारत के जनजाति समाज को भारतीय संविधान 1950 में ही दे चुका है।

यूएनओ ने यह महसूस किया कि 21वीं सदी में भी विश्व के विभिन्न देशों में निवासरत मूलनिवासी समाज अपनी उपेक्षा, बेरोजगारी एवं बंधुआ बाल मजदूरी जैसी समस्याओं से ग्रसित है। सन् 1993 में UNWGIP कार्यदल के 11वें अधिवेशन में 'मूलनिवासी घोषणा प्रारूप' को मान्यता मिलने पर सन् 1994 को मूलनिवासी वर्ष तथा 9 अगस्त को मूलनिवासी दिवस घोषित किया गया। अतः मूलनिवासियों को अधिकार दिलाने और उनकी समस्याओं का निराकरण भाषा, कलाचार एवं उनके मूलभूत अधिकारों को सभी ने एकमत से स्वीकार किया और उनके सभी हक

(शेष पृष्ठ संख्या 10 पर...)

फुलवा से फूलन और फिर सांसद बनी 'फूलन देवी'

- चौधरी लौटनराम निषाद
राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय निषाद संघ

अंतरराष्ट्रीय पटल पर दस्यु सुंदरी व बैंडिट क्वीन नाम से ख्यात फूलन देवी का असली नाम फुलवा था। मशहूर अमेरिकन न्यूज मैगजीन टाइम पत्रिका ने विश्व की 16 क्रांतिकारी महिलाओं में फूलन देवी को चौथे स्थान पर रखा। फूलन देवी का जन्म जालौन जिला के कालपी थानांतर्गत शेखपुर गुढ़ा का पुरवा में 10 अगस्त, 1963 को हुआ था। इनके पिता का नाम देवीदीन मल्लाह व माता का नाम मुला देवी है। 4 बहनों में फूलन तीसरे नम्बर पर थीं और इनका एक छोटा भाई है शिवनारायण निषाद जो मध्यप्रदेश पुलिस में मुलाजिम है। 11 साल की कम उम्र में फूलन देवी की शादी कानपुर देहात के महेशपुर गाँव में 30 वर्षीय पुत्तीलाल निषाद के साथ हुई थी। पति व ससुरालियों की प्रताड़ना से फूलन भागकर अपने मायके आ गयी। इनकी मां मुलादेवी ने फूलन को उसकी मौसेरी बहन के यहां त्योंगा गाँव भेज दिया। यहां पर गाजीपुर जनपद के जमुआंव गांव निवासी कैलाश मल्लाह का आना जाना था, जो जमुना के किनारे खरबूजा तरबूजा की खेती करता था। मौसेरी बहन के यहां फूलन की मुलाकात कैलाश से हुई। डकैत बाबू गुजर ने फूलन को बीहड़ में उठा ले गया। फूलन के साथ अत्याचार को देखकर विक्रम मल्लाह ने उसकी हत्या कर गिरोह का सरदार बन गया। लालाराम व श्रीराम ने फूलन को उठाकर ठाकुरों के गांव बेहमई ले गए और 15 वर्ष की उम्र में 22 ठाकुरों ने 22 दिन तक लगातार बलात्कार किया। निर्वस्त्र कर कुँए से पानी भरवाया।

फूलन देवी के जीवन की 10 सच्चाइयों को यहाँ बयां किया जा रहा है -

किसी जमाने में दहशत का दूसरा नाम। कम उम्र में शादी, फिर गैंगरेप और फिर इंदिरा गांधी के कहने पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के समक्ष 12 फरवरी, 1983 को ग्वालियर में 10 हजार समर्थकों के साथ स्वसमर्पण कीं। इस दस्यु सुंदरी के डकैत बनने की पूरी कहानी किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। यूं तो फूलन देवी पर आपने बहुत कुछ पढ़ा, जाना, सुना होगा, लेकिन आज हम आपको फूलन देवी के बंदूक थामने के पीछे की कहानी बता रहे हैं। जानिए 'बैंडिट क्वीन' से सांसद बनने तक का सफरनामा...

1- 10 अगस्त, 1963 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव गुढ़ा का पुरवा में जन्मी यह महिला शुरू से ही जातिगत भेदभाव का शिकार रही। लेकिन 11 साल की उम्र में फूलन की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया।

2- 11 साल की उम्र में फूलन देवी को गांव से बाहर भेजने के लिए उसके चाचा मैयादीन मल्लाह ने फूलन की शादी एक 30 वर्षीय प्रौढ़ जो पहले से शादीशुदा आदमी था, महेशपुर-कानपुर देहात के पुत्तीलाल निषाद से करवा दी। फूलन इस उम्र में शादी के लिए तैयार नहीं थी। शादी के तुरंत बाद ही फूलन देवी दुराचार का शिकार हो गई। जिसके बाद वो वापस अपने घर भागकर आ गई। घर आकर फूलन देवी अपने पिता के साथ मजदूरी में हांथ बंटाने लगी।

3- महज 15 साल की उम्र में फूलन देवी के साथ एक बड़ा हादसा हो गया, जब गांव के ठाकुरों ने उनके साथ गैंगरेप किया। इस घटना को लेकर फूलन न्याय के लिए दर-दर भटकती रही, लेकिन कहीं से न्याय न मिलने पर फूलन ने बंदूक उठाने का फैसला किया और वो डकैत बन गई।

4- फूलन देवी के साथ ये हादसा यहीं खत्म नहीं हुआ, इंसाफ के लिए दर-दर भटकती इस महिला के गांव में कुछ डकैतों ने हमला किया। इसके बाद डकैत फूलन को उठाकर ले गए और कई बार रेप किया। यहीं से बदली फूलन की जिंदगी, और फूलन की मुलाकात विक्रम मल्लाह से हुई। फिर दोनों ने मिलकर डाकूओं का अलग गैंग बनाया।

5- फिर फूलन ने अपने साथ हुए गैंगरेप का बदला लेने की ठान ली। और 1981 में 22 सवर्ण ठाकुर जाति के लोगों को एक लाइन में खड़ा कराकर गोलियों से छलनी कर दिया। जिसे बेहमई कांड के नाम से जाना जाता है।

इसके बाद पूरे चंबल इलाके में फूलन का खौफ पसर गया। सरकार ने फूलन को पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन यूपी और मध्य प्रदेश की पुलिस फूलन को पकड़ने में नाकाम रही।

6- बाद में तात्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से 1983 में फूलन देवी से स्वसमर्पण करने को कहा गया। जिसे फूलन ने अपनी शर्तों पर सहमति के बाद मान लिया। क्योंकि यहां फूलन के साथ मजबूरी थी, उसका साथी विक्रम मल्लाह पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था।

7- फूलन ने यूं ही स्वसमर्पण नहीं किया। उसने सरकार से अपनी शर्तें मनवाई, जिनमें पहली शर्त उसे या उसके सभी साथियों को मृत्युदंड नहीं देने की थी। फूलन की अगली शर्त ये थी कि उसके गैंग के सभी लोगों को 8 साल से अधिक की सजा न दी जाए। इन शर्तों को सरकार ने मान लिया था।

8- लेकिन 11 साल तक फूलन देवी को बिना मुकदमे के जेल में रहना पड़ा। इसके बाद 1994 में आई बसपा-समाजवादी पार्टी की सरकार ने फूलन को जेल से रिहा किया। निषादों के मशहूर नेता बाबू मनोहरलाल जी सपा-बसपा गठबंधन सरकार में पशुपालन व मत्स्य मंत्री के साथ राष्ट्रीय निषाद संघ के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। 20 जनवरी, 1994 को लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में निषाद रैली का आयोजन किया गया जिसमें लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी। तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थे। इस रैली में फूलन की बड़ी बहन रुक्मिणी देवी व मां मुला देवी भी आई थी, जो फूलन की रिहाई की मांग की अपील समाज से कर रही थीं। जब मुलायम सिंह मंच पर आए तो उन्होंने उमड़ी भीड़ को देखकर कहे कि आज निषाद समाज जो मांगेगा, देना पड़ेगा। पर जनता जिस मांग को लेकर कोने-कोने से आई थी, अपनी सामाजिक आरक्षण व अधिकारों की मांग को भूलकर "फूलन देवी को रिहा करो, फूलन देवी को रिहा करो" के नारे लगाने लगी। नेता जी ने कहा-फूलन के सारे मुकदमे वापस, फूलन को रिहा करायेंगे। बतौर मुख्यमंत्री नेताजी ने फूलन के सभी 46 मुकदमों को वापस ले लिया, जो उत्तर प्रदेश के थानों में दर्ज थे। प्रदेश सरकार ने 20 फरवरी, 1994 को ग्वालियर कारगर से रिहा करा दिया। पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत ने एकलव्य सेना बनाकर फूलन को उसका अध्यक्ष बना दिया और इसके दो साल बाद ही फूलन को समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने का ऑफर मिला और वो मिर्जापुर-भदोही सीट से जीतकर सांसद बनीं और दिल्ली पहुंच गईं। उन्होंने भाजपा के वीरेंद्र सिंह मस्त पहलवान को पटकनी दी थीं। 1999 में एक बार फिर उन्होंने भाजपा के वीरेन्द्र सिंह को हराकर दोबारा संसद में पहुंची।

9- इसके बाद साल 2001 फूलन की जिंदगी का आखिरी साल रहा। इसी साल खुद को राजपूत गौरव के लिए लड़ने वाला योद्धा बताने वाला शेर सिंह राणा ने दिल्ली में फूलन देवी के 44 अशोका रोड स्थित सांसद आवास के गेट पर 25 जुलाई, 2001 को नागपंचमी के दिन उनकी हत्या कर दी। हत्या के बाद राणा का दावा था कि ये 1981 में सवर्णों की हत्या का बदला है।

10- इस हत्या को कई तरह से देखा जाता है। कभी इसमें राजनीतिक साजिश की बू नजर आती है, तो कभी उसके पति उम्मेद सिंह पर भी फूलन की हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप लगता है। फूलन देवी पर फिल्म बैंडिट क्वीन भी बन चुकी है। जिसे शेखर कपूर ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म पर फूलन को आपत्ति थी। जिसके बाद कई कट्स के बाद फिल्म रिलीज हुई। लेकिन बाद में सरकार ने इस फिल्म पर बैन लगा दिया।

फूलन देवी की हत्या के पीछे सामंती जातियों का हाथ रहा है। सन् 2000 में हम फूलन देवी को 3 दिन के लिए मुम्बई लिवा गए, बांद्रा, बोरीवली व भिवंडी में उनका कार्यक्रम कराये। जून, 2000 में महाराष्ट्र कोली समाज के डॉ. जी.के. भांजी, विजय वर्लीकर, बिनोद किसन कोली, प्रकाश बोबड़ी द्वारा खार डांडा में कोली-निषाद सम्मेलन में आमंत्रित किया गया, पर फूलन देवी इस कार्यक्रम में नहीं गयीं। जिससे उनके व मेरे भाई-बहन के रिश्ते में कड़वाहट आ गयी। कार्यक्रम में न आने से मुझे बहुत कष्ट हुआ और फूलन से बिल्कुल दूरी बना लिया। अचानक फूलन देवी का मेरे यहाँ 23 जुलाई, 2001 को फूलन जी का फोन आया, तो वह बड़े दुखी मन से कहा- भैया, नाराजगी छोड़ दो, अमर सिंह, रंगनाथ मिश्रा व ठाकुर हमे मरवा देंगे। भैया, आरक्षण की लड़ाई लड़ते रहना। क्या पता कि 2 दिन बाद ही बहन की हत्या हो जाएगी। फूलन के वह अंतर्मन के शब्द थे।

बनारस में मैं स्नातक का दूसरे वर्ष का छात्र था। हमने अखबारों में बयान जारी कर कहा- जब खूंखार डकैत व हत्यारे तहसीलदार सिंह, मोहर सिंह, दर्शन सिंह के मुकदमे वापस कर उनके पुनर्वास की व्यवस्था कर दी गयी, तो फूलन देवी की रिहाई क्यों नहीं? अखबारों में यह खबर प्रमुखता से छपी। मैं बार-बार यह मुद्दा उठाने लगा। धरना प्रदर्शन में भी यह मांग सम्मिलित

(शेष पृष्ठ संख्या 10 पर...)

किसान कैसे भूल गए किसान मसीहा चौधरी कुम्भाराम आर्य को

- हरीराम जाट
नसीराबाद, अजमेर (राज.)

राजस्थान के किसानों को निःशुल्क भूमि का मालिकाना हक दिलाने वाले किसान मसीहा चौधरी कुम्भाराम आर्य जी की का जन्म 10 मई 1914 को हुआ था। इस वर्ष उनकी 111वीं जन्म जयंती मनाई गई। इनका देहान्त 26 अक्टूबर 1995 को हुआ था।

जागीरी जुल्म के दौर में ऐसे सुदृढ़ स्वप्नद्रष्टा और फिर स्वाधीनता संग्राम के बाद सत्ता के गलियारे में अपनी धमक के बलबूते पर इस सँजोए सपने को प्राथमिकता के आधार पर साकार कर देने वाले राजस्थान के किसान वर्ग के मसीहा चौधरी कुम्भाराम आर्य को उनकी जन्म जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि!

स्वाधीनता से पूर्व राजस्थान में सदियों से राजशाही, सामंती और साम्राज्यवादी व्यवस्था का तिहरा गठजोड़ विद्यमान था। 'भू स्वामियों के एक श्रेणी तंत्र ने संपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक ढांचे पर आधिपत्य स्थापित कर रखा था, जिसमें स्वायत्तशासी देशी रियासतों के राजाओं से लेकर बड़ी-बड़ी जागीरों के मालिक तक सम्मिलित थे।' जागीरदारों के प्रश्रय में पोषित अनेक छोटे बिचौलिए भी इस व्यवस्था के उच्चत्तर सोपानों पर प्रतिष्ठित थे।

सामाजिक सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर परिश्रमी किसान को धकेल रखा था। दुःसह आर्थिक कठिनाइयों को भुगतते किसान की खून- पसीने की कमाई राजाओं व सामंतों के खजानों को समृद्ध कर रही थी। जो जागीदार थे, उनके पास कार्यपालिका और न्यायपालिका की व्यापक शक्तियां समाहित थीं लेकिन रियासत पर शासन राजा का था। जागीरदार अपनी प्रजा के वास्तविक स्वामी और शासक थे और वे प्रजा पर मनमाना अत्याचार करते थे। अपनी मनमर्जी से भूमि कर (लागबाग) बढ़ाते रहते थे और किसानों द्वारा खेती-बाड़ी के जरिए कमाई उनकी रोटी को उनसे छीनकर उन्हें अनाज के दाने-दाने के लिए मोहताज कर रखा था।

पराधीन, प्रताड़ित, शोषित, दमित, दीन-हीन, अशिक्षा के अंधकार से घिरा, अंधविश्वास और रूढ़ियों के शिकंजे में जकड़ा, कुप्रथाओं और सामंतों के कुचक्रों में फंसा किसान वर्ग जागीरी जुल्म की चक्की में पिसता नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर था। चौधरी कुंभाराम आर्य राजस्थान में स्वतंत्रता सेनानियों की श्रृंखला के अग्रणी पंक्ति के नेता थे। राजस्थान के किसानों को दमन, शोषण व उत्पीड़न के चक्रव्यूह से बाहर निकालने की मुहिम को परवान पर चढ़ाने और फिर उन्हें उनके द्वारा जोते जाने वाले खेतों पर खातेदारी का हक दिलाकर उनकी जिंदगी को रोशन करने का श्रेय चौधरी कुम्भाराम आर्य को जाता है। चौधरी कुम्भाराम आर्य एक सफल संगठनकर्ता, कुशल वक्ता, मौलिक चिंतक, निडर व निश्छल नेता, स्वाभिमानी राजनीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासक थे। राजनीति के क्षेत्र में वे एक जुझारू, अक्खड़, स्पष्टवादी, निडरता से दो- टूक बात कहने वाले नेता थे।

लोकप्रिय किसान नेता

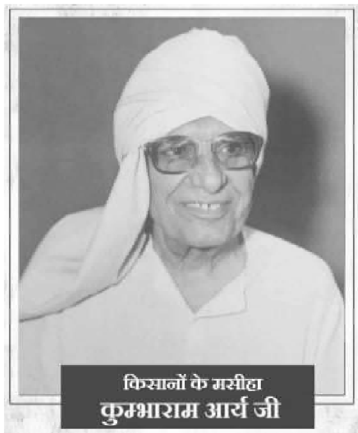

प्रथम राजस्थान विधानसभा के 160 सदस्यों के लिए जनवरी 1952 में हुए चुनाव में चौधरी कुंभाराम आर्य ने चूरू विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट पर अपना नामांकन दाखिल किया। इसकी भी लंबी कहानी है। उनके विरोधियों ने उन पर सांप्रदायिक होने का बेबुनियाद आरोप लगाया। विवाद बढ़ने पर कांग्रेस आला कमान ने उनकी टिकट छीन ली। परन्तु तब तक नाम वापिस लेने की तारीख निकल चुकी थी। आला कमान ने कुम्भाराम जी को चुनाव में अपने लिए पर्चे छपवाने-बंटवाने, अन्य किसी भी प्रकार से प्रचार नहीं करने और चुनाव क्षेत्र में नहीं जाने के लिए पाबंद किया। चौधरी साहब ने नेहरू जी से इस बाबत वादा किया और उसको अक्षरशः निभाया। वे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े रहे। वे एक बार भी अपने चुनाव क्षेत्र में नहीं गए और न ही खुद के लिए वोट डालने की अपील मतदाताओं से की। बाबजूद इसके वे भारी मतों से विजय हुए। सामने वाले प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। सब परिस्थितियां उनके प्रतिकूल। मीडिया ने उनकी खूब खिलाफत की। विरोधियों ने दुष्प्रचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन किसान वर्ग उन्हें अपने तारणहार के रूप में स्वीकार करता था। मीडिया, सामंतों, धनपतियों व विरोधियों के गठजोड़ द्वारा चौधरी कुम्भाराम आर्य के खिलाफ रचे गए समस्त षड्यंत्रों का समुचित जबाब उनके क्षेत्र की जनता ने उनको भारी मतों से जीता कर दे दिया। उनकी लोकप्रियता का इससे ज्यादा पुख्ता प्रमाण और क्या हो सकता है? चुनाव परिणाम के बाद वे पूरे राजस्थान में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर एक चर्चित शख्सियत के रूप में उभरे। यह जीत उनकी लोकप्रियता को बखूबी प्रकट करती है। आज तक ऐसा कोई नेता नहीं हुआ जिसने एक बार भी चुनाव क्षेत्र में पदार्पण किए बगैर या मतदाताओं से बिना कोई अपील या वादा किए चुनाव में जीत दर्ज की हो।

क्रांतिकारी भूमि सुधार के प्रणेता - प्रथम आम चुनाव से पूर्व ही राजस्थान सरकार ने 'राजस्थान भूमि सुधार और जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952' पास किया जो 18 फरवरी 1952 ई. को कानून बन गया। इस कानून के आधार पर बाद में जागीरदारों को मुआवजा देकर उनकी जागीरें जप्त कर ली गईं और किसान को भूमि का खातेदार बना दिया।

सुखाड़िया मंत्रिमंडल में 13 नवंबर 1954 को शपथ ग्रहण करने पर चौधरी कुंभाराम आर्य को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। इस अवधि में जागीरदारी प्रथा पुनर्ग्रहण संशोधन अधिनियम 1954 तथा राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 पारित किए गए, जिसके परिणामस्वरुप जागीरदारी प्रथा राजस्थान में सदा-सदा के लिए समाप्त हो गई और किसानों को अपने द्वारा जोते जाने वाले खेतों पर खातेदारी का अधिकार बिना कोई मुवावजा चुकाए/ निःशुल्क प्राप्त हो गया। इन कानूनों की गणना भारत के सर्वोत्तम प्रगतिशील भूमि सुधार कानूनों में की जाती है। ये वो कानून थे जिन्होंने सदियों से शोषित और उत्पीड़ित किसानों को जागीरदारों के चंगुल से मुक्त कराकर उन्हें भूमि का खातेदार बनाया। जमीन पर काश्तकारों के हक की बात चौधरी कुम्भाराम ने नपे तुले शब्दों मे यूँ कही -

'जमीन कींकी? बावै बींकी।'

किसानों को जागीरदारी से मुक्ति दिलाने और काश्तकारों को खातेदारी का हक दिलाने के कारण देहात के बड़े-बुजुर्ग अब भी खातेदारी एक्ट को 'कुंभा एक्ट' के नाम से जानते हैं। कुम्भाराम और किसान पर्यायवाची शब्द बनकर उभरे। मालूम हो कि जागीर उन्मूलन के समय किसान को खातेदारी हक दिलाने के लिए अन्य राज्यों में किसानों से मुआवजा वसूल किया गया। केवल राजस्थान में बिना किसी मुआवजे के/निःशुल्क किसानों को खातेदारी हक हासिल हुआ।

भूमि सुधारों में चौधरी कुम्भाराम आर्य की प्रमुख भूमिका रही है, चाहे टिनेंसी एक्ट हो, चाहे कॉलोनाइजेशन एक्ट या उनके अंतर्गत बने रूल्स, इन सभी की ड्राफ्टिंग में चौधरी साहब के किसान हितैषी विचारों का समावेश था।

राजस्थान लैंड रिफॉर्म्स, एबोलिशन एण्ड रिजम्पसन ऑफ जागीरदारी एक्ट 1952 और राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 वस्तुतः चौधरी कुम्भाराम आर्य के दिशा-निर्देश और सुपरविजन में तैयार कर क्रियान्वित किए गए। इन अधिनियमों की कुछ मूलभूत विशेषताएँ ये थीं-

जो काश्तकार दिनांक 15 अक्टूबर 1955 को जिस भूमि का लगान देता था या उसने लगान देने का करार कर रखा था, वह काश्तकार उस भूमि का खातेदार काश्तकार हो गया। खातेदार काश्तकार तकनीकी रूप से भूमि का मालिक तो नहीं होता लेकिन खातेदारी भूमि में उसके अधिकार करीब-करीब मालिक के समान ही हैं।

यह अधिनियम लागू होते ही किसान वर्ग की किस्मत करवट लेने में सफल हो गई। सदियों की जड़ता समाप्त हो चली। काश्तकार रात को सोया तब उसके द्वारा काश्त की जा रही भूमि का मालिक राजा, जागीरदार या खालसा की रियासती सरकार थी। किसान वर्ग के पास भूमि सम्बन्धी कोई हक नहीं थे। अधिनियम लागू होते ही काश्तकार जब सुबह जगा तो उसे पता चला कि अब जमीन की मालिक राजस्थान सरकार हो गई है तथा काश्तकार खुद खातेदार बन गया है। जमीन पर खातेदारी का हक किसान का हो जाना, यह किसान वर्ग के जीवन में आमूल- चूल परिवर्तन था। साइलेंट रेवोल्यूशन थी यह।

खातेदारी अधिकार प्राप्ति के लिए काश्तकारों को किसी रकम या मुआवजे का भुगतान नहीं करना पड़ा। नेतृत्व और ब्यूरोक्रेसी का यह मानना था कि बिना मूल्य/ शुल्क के काश्तकारों को भूमि का स्वामित्व सौंपना संभव नहीं होगा क्योंकि जागीरदारों को मुआवजा देना था। किंतु कुम्भाराम जी इस बात पर डटे रहे कि किसान को जमीन पर हक निःशुल्क मिलना चाहिए क्योंकि वह वर्षों से उस जमीन पर काबिज है। कुम्भाराम जी की जिद्द के कारण आखिर फैसला किसान वर्ग के हित में हुआ। जागीरदार को उसकी जागीर जब्ती और मालिकाना हक समाप्ति का मुवावजा राज्य सरकार द्वारा भुगतान किया गया। जिन जागीरदारों के पास जोत के

(शेष पृष्ठ संख्या 9 पर..)

मूलनिवासियों पर कांग्रेस की वर्तमान छल-छद्म की रणनीति

- संधीर कुमार
केन्द्रीय कार्यालय सचिव, मूलनिवासी संघ

लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद जब कांग्रेस को गठबंधन के संयुक्त प्रयास द्वारा कुछ सफलता मिली और उसे अहसास हुआ कि यदि कांग्रेस लोकसभा सभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर पायी तो दलितों (अछूतों) के वोटों से। किन्तु यह सच नहीं है। सच यह है कि मूलनिवासी समाज के तमाम सामाजिक संगठनों एवं राजनैतिक संगठनों ने जब संविधान संरक्षण हेतु जेहाद छेड़ दिया तब लोगों ने इण्डिया गठबंधन को अपना मत दिया। इसलिए बिल्ली के भाग्य से छींका टूटा और कांग्रेस अपनी खोई हुई विरासत प्राप्त करने में कुछ हद तक सफल हुई। कांग्रेस अध्यक्ष (अछूत) के कन्धे पर बन्दूक चलाने में माहिर कांग्रेस जगजीवन राम के साथ क्या वर्ताव किया इसे भला कौन नहीं जानता। कांग्रेस ने अपने हित में बाबू जगजीवन राम को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विरोध में खड़ा किया और अन्त में उन्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह कांग्रेस से निकाल कर फेंक दिया। इस बात को भी मूलनिवासी अभी नहीं भूले हैं कि 564 रियासतों को तोड़कर भारत को विशाल भारत बनाने का गौरव सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्राप्त हुआ किन्तु जब उन्हें लोकतांत्रिक तरीके से प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला तो कांग्रेस ने उनके साथ विश्वासघात किया। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया। इतना ही नहीं इन्हीं कांग्रेसी आर्य-पुत्रों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर अंबेडकर के बीच मतभेद जैसा भ्रम फैलाया कि सरदार पटेल ने कहा कि मैंने डॉक्टर अंबेडकर के लिए संविधान सभा के दरवाजे, खिड़कियां ही नहीं रोशनदान तक बन्द कर दिया है, देखते हैं वे कैसे संविधान सभा में पहुंचते हैं। कांग्रेस द्वारा फैलाया गया यह भ्रम आज भी जिन्दा है। जबकि सच यह है कि जब डॉक्टर अंबेडकर ने बहुजनों के कुछ मुद्दों पर सन् 1951 में मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया तो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता एस.के. पाटिल ने कहा कि डाक्टर अम्बेडकर को उन्होंने ही मंत्रिमंडल में रखवाया था। उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर कृतघ्नता का कार्य किया है। डॉ. अम्बेडकर ने अपने जवाब में कहा कि कोई व्यक्ति अपने सम्मान की कीमत पर कृतज्ञता नहीं प्रकट कर सकता। कोई भद्र महिला अपनी आबरू कीमत पर कृतज्ञता नहीं प्रकट कर सकती। कोई राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता की कीमत पर कृतज्ञता नहीं प्रकट कर सकता। फिर मैं कांग्रेस की गुलामी कैसे कर सकता था। मैं उस समय बहुत आश्चर्यचकित हुआ, जब मुझे कांग्रेस मन्त्रिमण्डल में शामिल किया गया जो कांग्रेस मेरे लिए संविधान के दरवाजे, खिड़कियां, और रोशनदान बन्द करने की घोषणा कर चुकी थी। (पढ़े-डॉक्टर अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेज पार्ट 17 पृष्ठ संख्या 460-461)

हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि जिस बाबासाहेब अम्बेडकर ने 'व्हाट कांग्रेस एण्ड महात्मा गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स' पुस्तक लिखकर अछूतों के प्रति कांग्रेस के व्यवहार की पोल पट्टी खोल रखी थी जिससे कांग्रेस बहुत ही व्यथित थी। ऐसी स्थिति में डॉ. अम्बेडकर को मंत्रिमंडल में शामिल करना उनके लिए आश्चर्य की बात अवश्य थी। यही कांग्रेस है उत्तर प्रदेश सरकार की सरकार में सन् 1952 में राजस्व मंत्री रहे चौधरी चरण ने जब लैंड यूटिलाइजेशन बिल लाकर भूमिहीन मूलनिवासियों को जमीन का मालिक बना दिया, साथ ही साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश से जमींदारी प्रथा को खत्म किया, कांग्रेस कई बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर आने पर भी बाहर के राज्य से बंगाली ब्राह्मण महिला सुचेता कृपलानी को मुख्यमंत्री बनाया किन्तु चौधरी चरण सिंह को मुख्यमंत्री बनने का अवसर नहीं प्रदान किया। चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस से त्यागपत्र देकर भारतीय क्रांतिदल पार्टी की स्थापना की। सन् 1967 और सन् 1970 में डाक्टर राममनोहर लोहिया और कांग्रेस के समर्थन से संविद सरकार बनायी।

चौधरी चरण सिंह की संविद सरकार में मार्च 1970 में कांग्रेस कोटे के एक ब्राह्मण मन्त्री ने डॉ. अम्बेडकर द्वारा लिखित पुस्तक 'एनीहिलेशन आफ कास्ट' को जप्त कर लिया था जिसे ललई सिंह यादव ने हाईकोर्ट इलाहाबाद में याचिका दायर कर बहाल करवा लिया था। यह पुस्तक आर्य संस्कृति की विध्वंसक पुस्तक है जिसे पढ़कर मां. कांशीराम मूलनिवासी बहुजन आन्दोलन के प्रति जैसे पागल हो गये थे और उन्होंने कहा, 'मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मात्र एक किताब पढ़कर पागल हो गया और घर-बार छोड़कर डॉक्टर अंबेडकर के मिशन में लग गया। आज कैसे अम्बेडकरवादी हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की ढेर सारी किताबें पढ़ते हैं और उनके विचार भी सुनते हैं फिर भी टस से मस नहीं होते।' कांग्रेस भाजपा से कम जातिवादी पार्टी नहीं है। कांग्रेस यदि अछूतों और पिछड़ों को उनके संवैधानिक अधिकार प्रदान किया होता तो भाजपा सरकार आती ही नहीं। जिस कांग्रेस पार्टी का युवराज राहुल गांधी अपने को ब्राह्मण होने का प्रमाण जनेऊ दिखाकर करता हो, संविधान रक्षण की राग मूलनिवासी बहुजनों के साथ मिलाता हो और संविधान के अनुच्छेद 1 'इण्डिया दैट इज भारत' का उलंघन कर 'हिन्दुस्तान' शब्द का बार-बार उच्चारण करता हो, ऐसे कांग्रेसी युवराज की नीति और नीयत पर लोगों द्वारा सक करना स्वाभाविक है।

आज कांग्रेस अपनी छल और छद्म की नीति के तहत अछूतों, पिछड़ों तथा आदिवासियों की भावनाओं को भुनाने के लिए गांवों के बीच जाकर चार लाख संविधान रक्षकों को तैयार करने के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दिया है और इतना ही नहीं कांग्रेस बामसेफ और उसके अनुषांकिग संगठनों की गतिविधियों के मद्देनजर बीएस-4 डोर टू डोर अर्थात भारतीय संविधान, सम्मान, सुरक्षा और संवर्धन के तर्ज पर चलकर मूलनिवासियों के वोट प्राप्त कर पुनः राजनीतिक सत्ता हासिल करना चाहती है। इतना ही नहीं कांग्रेस अछूतों, पिछड़ों और आदिवासियों के बीच से संविधान के रक्षार्थ दस लाख कमांडो बनाने की भी घोषणा कर दी है। कांग्रेस हो अथवा भाजपा मूलनिवासी समाज को शासक जमात के रूप में किसी भी दशा में देखना नहीं चाहती। क्योंकि भारत का संविधान मूलनिवासियों के हक अधिकार के साथ खड़ा है। संविधान समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, यदि संविधान देश के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय का पक्षधर है फिर समस्त नागरिकों में 90 प्रतिशत नागरिक तो मूलनिवासी हैं। यदि नब्बे प्रतिशत हिस्सा मूलनिवासियों को प्रदान किया गया और जो आर्य-पुत्र जीवन के सभी क्षेत्रों पर अपना एकाधिकार जमाये हुए हैं फिर वे मूलनिवासियों की सत्ता को कैसे सहन कर पाएंगे। यह चिन्तन का विषय है।

समस्या का संविधान सम्मत समाधान तभी संभव है जब भारत में मूलनिवासियों का राज, मूलनिवासियों के द्वारा हो। उनका नेता अपना, उनकी नीति और रणनीति भी अपनी हो, तभी वह धन, धरती और राजपाट में अपनी समुचित भागीदारी हासिल कर सकते हैं। अन्यथा आर्यों के वंशज अपनी छल-छद्म की नीति से मूलनिवासियों पर शासन करते रहेंगे।■

पढ़े लिखे के साथ-साथ महत्वाकांक्षी बेईमान लोगों ने भी समाज को धोखा दिया

- जीवनाथ राम
वरिष्ठ कार्यकर्ता, मूलनिवासी संघ

आदिम काल में जब प्राकृतिक घटनाएं होती जैसे बिजली चमकना, वर्षा होना, बाढ़ होना, ओलावृष्टि होना, भूकंप होना, आंधी तूफान आना आदि तो उस समय के आदमी के समझ से सर्वथा परे था। उक्त पर काबू पाने के लिए जो कुछ भी संभव था टोना-टोटका किया जाता था जिसे वे जादू कहते थे। उस समय जादू और धर्म एक ही चीज के दो नाम थे। अगला चरण आदमी का विश्वास, धार्मिक कर्मकांड, प्रार्थनाएं, पूजा, रीति रिवाज, पशु हत्या, वाले यज्ञ आदि धर्म का केंद्र बिंदु इस विश्वास पर केंद्रित था कि कोई विशेष शक्ति है जो इन सरी घटनाओं का कारण है। आरंभ में यह शक्ति 'शैतान' का ही रूप था। आगे चलकर वही शक्ति ईश्वर, परमात्मा या दुनिया को बनाने वाली कहलाई।

धर्म की की मान्यता ने तीसरी शक्ल ग्रहण की और माना जाने लगा की कोई शक्ति है जो आदमी और दुनिया को पैदा की है। हर आदमी के शरीर में एक आत्मा है जो नित्य है। आदमी, जो भला-बुरा काम करता है उसे 'आत्मा' को ईश्वर के प्रति उत्तरदाई रहना पड़ता है। धर्म का उद्देश्य- ईश्वर में विश्वास ,आत्मा में विश्वास, ईश्वर की पूजा, आत्मा का सुधार, प्रार्थना, व्रत, यज्ञ आदि करके ईश्वर को प्रसन्न करना।

जैसा की सर्व विदित है कि विदेशी आर्य-ब्राह्मणों ने ईसा पूर्व 1500 भारत के मूलनिवासियों को छलपूर्वक पराजित कर सत्ता पर कब्जा कर अपने अनुसार शासन, समाज, संस्कृति, धर्म और विधान की स्थापना किए। वेद आर्यो का विधान है जिसमें चातुर्य वर्ण्य की स्थापना कर संपूर्ण समाज को अपने इस विधान को अनुसार व्यवस्थित किया। इस ब्राह्मणी विधान के अनुसार सारे श्रेष्ठ पद, श्रेष्ठ कार्य और श्रेष्ठ अधिकार ब्राह्मण अपने लिए सुरक्षित कर लिया तथा सारे निम्न निकृष्ट कार्य जो मूल निवासी बहुजनों के ऊपर थोप कर सारे मानवीय अधिकारों से वंचित कर दिया। शुरू मे आर्यो के धर्म को वर्णाश्रम धर्म या ब्राह्मण धर्म के नाम से जाना जाता था क्योंकि आर्यो का धर्म चार्तुर्वण्य द्वारा प्रतिपादित है और ब्राह्मण - हित में ब्राह्मणों द्वारा प्रतिपादित है। यही वर्णाश्रम या ब्राह्मण धर्म आधुनिक काल में हिंदू धर्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ अतः हमें हिंदू धर्म नहीं बल्कि ब्राह्मण धर्म प्रचारित करना चाहिए। एक समय था जब ब्राह्मण हिंदू नहीं 'आर्य' कहलाने में गौरव महसूस करते थे। इसका कारण 'हिंदू' शब्द का विदेशी होना था। हिंदू शब्द का फारसी में अपमान जनक अर्थ बताए गए हैं यानी हिंदू शब्द विदेशियों द्वारा दिया गया गली है।

राजा राममोहन राय और दयानंद सरस्वती ने कभी हिंदू शब्द स्वीकार नहीं किया। इसलिए राजा राममोहन राय 1828ई. में ब्रह्मण समाज तथा दयानंद सरस्वती... *(शेष पृष्ठ 9 पर)*

(पृष्ठ 8 का शेष...)

पढ़े लिखे के साथ-साथ महत्वाकांक्षी...

ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना कर अपने आप को आर्य होने का प्रमाण दिया। जनसंघ के अध्यक्ष दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार वर्ण व्यवस्था प्राचीन होने के कारण यह राष्ट्र की एकात्मक शक्ति है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जीना ही स्वतंत्रता है। हिंदू जीवन राष्ट्र जीवन है। गोवलकर अपनी पुस्तक 'बंच ऑफ थॉट' में लिखते हैं- सरकार के एकात्मक स्वरूप की स्थापना के लिए संविधान का पूर्ण परीक्षण और पुर्नलेखन जरूरी है। गोवलकर धर्म को परिभाषित कर कहते हैं कि हमारे धर्म की परिभाषा दोहरे अर्थ में है पहला मानव मन का पूर्ण निर्माण मुख्य रूप से 'भागवद गीता' की भूमिका होगी और दूसरा समरस संगठित अस्तित्व जो लोगों को सामाजिक रूप से जोड़े रखें। इस तरह हिंदुत्व वादी संगठनों की समरसता का सिद्धांत दास्ता और विषमता पर आधारित है जिसमें स्थाई रूप से ब्राह्मण के हाथ में कलम, क्षत्रिय के हाथ में तलवार, वैश्य के हाथ में तराजू और शूद्र को झाडू छोड़कर कलम पकड़ने की स्वतंत्रता नहीं होगी। यह है आरएसएस का समाज दर्शन इस कार्य के लिए दर्जनों अनुसांगिक संगठन रात दिन का कार्यरत है।

भारत में 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। समता, स्वतंत्रता, बंधुता ,न्याय पर आधारित समाज, राष्ट्र निर्माण की बात कही गई। सभी लोगों को शिक्षा, रोजगार, अभिव्यक्ति, स्वास्थ्य आदि का अवसर मिला। कुछ लोगों ने इसका लाभ भी उठाया। विषमता वादी लोगों को यह सब नहीं पच रहा तो उसने हिंदू धर्म का कार्ड का इस्तेमाल कर संविधान को ही खत्म करने पर आमादा हो गये है। बाबा साहब अंबेडकर अपने जीवन काल में ही महसूस कर रहे थे की संविधान द्वारा प्राप्त अधिकारों से राज्य और केंद्र के सरकारों में छोटे-बड़े पदों पर पहुंच गए पूना पैक्ट के प्रभाव से राजनीति में गए वहां एमएलए, एमपी, मंत्री आदि बने और अपने ही परिवार के विकास में सिमट गए समाज को भूल गए। बाबा साहब यह सब देखकर बहुत उदास दुखी रहते थे। मेरे बाद इस समाज के लिए कौन आगे आएगा? बाबा साहेब के जाने के 22 वर्ष बाद मूलनिवासी बहुजन समाज से तीन महापुरुष मान्यवर काशीराम, यशकाई डी. के. खापर्डे और मान्यवर दीना भाना ने 6 वर्ष के चिंतन, मनन एवं अथक प्रयास से बामसेफ नामक सामाजिक संगठन का निर्माण किया।

वैसे संगठन सुचारू रूप से अग्रसर हुए आगे चलकर संगठन कई झंझावातों से गुजरते हुए, सुधरते हुए, संभालते हुए, लोकतांत्रिक एवं संस्थागत नेतृत्व में आया। बामसेफ संगठन ने कई अनुषांगिक संगठन मसलन मूलनिवासी संघ, मूलनिवासीय विद्यार्थी संघ, मूलनिवासी कर्मचारी महासंघ, मूलनिवासी सभ्यता महासंघ, पीपीआई डी का निर्माण किया भिन्न-भिन्न संगठनों के लिए भिन्न-भिन्न कार्य शौपे गए।

संगठन के द्वारा विभिन्न विषयों पर प्रखंड, जिला, राज्य राष्ट्रीय स्तर पर प्रबोधनों द्वारा कार्यक्रम के द्वारा लोगों को जागरूक लोगों को सावधान होकर काम करने की सलाह देते रहे। संगठन का मुख्य पत्र मूलनिवासी टाइम्स संगठनात्मक गतिविधियों की जानकारी तथा आलेख जन समस्याओं महापुरुषों की जीवनी आदि पर कार्यक्रम की कई भाषाओं में पाक्षिक पत्रिका प्रकाशित किए जाते हैं। सोशल मीडिया पर एमएनटी, एमबीएन पर विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा प्रतिदिन प्रबोधन बातचीत आदि के कार्यक्रम किए जाते हैं।

बाबा साहब की एक बात याद आती है। 'पढ़े-लिखे लोगों ने हमें धोखा दिया'। इसमें मुझे एक बात और जोड़नी है- की पढ़े लिखे के साथ-साथ महत्वाकांक्षी बेईमान लोगों ने भी समाज को धोखा दिया है। परिवारवादी, व्यक्तिवादी, जातिवादी आदि संगठन बनाने, चलाने वाले इसके उदाहरण हो सकते हैं। अब सुविधा भोगी लोगों की संख्या बढ़ रही है जो दुख का विषय है। परंतु कुछ लोग आज भी हैं जो समाज हित, संगठन हित के प्रति संवेदनशील और प्रतिबद्ध है जो दिन रात इसके बारे में सोचते और कार्य करते हैं आगे भी करते रहेंगे। हमें नई पीढ़ी की ओर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सोशल मीडिया ने कुछ नए लोगों को जागृत किया है पर वे काफी संख्या में संगठन से नहीं जुड़ पाया है। उन्हें संगठन से जुड़ना अनिवार्य है।■

(पृष्ठ संख्या 7 का शेष..)

किसान कैसे भूल गए किसान मसीहा...

लिए भूमि नहीं रही, उन्हें सरकार ने सरकारी भूमि मे से भूमि उन्हें आंवटित की।

किसान वर्ग के लिए यह कमाल का एक्ट था। खातेदारी अधिकारों के लिए काश्तकारों को कुछ नहीं करना पडा। खातेदारी अधिकार कानून के प्रभाव से ही प्राप्त हो गये तथा पटवारी, तहसीलदार ने कानून को प्रभाव देने के लिए इन्तकाल द्वारा काश्तकार को रिकार्ड मे खातेदार दर्ज कर लिया।

किसान वर्ग के हितों के प्रबल समर्थक चौधरी साहब ने किसानों को खातेदारी का हक बिना मुआवजा के दिलाने के अलावा, खेतों के वृक्षों पर किसान को अधिकार दिलाने, सत्ता का विकेंद्रीकरण कर पंचायतों को अधिक अधिकार देने तथा सहकारी संस्थाओं को सुदृढ़ करने आदि जनहितकारी कई प्रमुख कार्य संपादित करवाए। राजस्थान में किसान वर्ग की दशा और दिशा में जो कुछ बेहतरी दिखाई दे रही है, उसका श्रेय चौधरी कुम्भाराम आर्य की कर्मठता की बदौलत किसान को खातेदारी का हक मिलने को दिया जाना न्यायोचित होगा।

वक्त बीतने के साथ सीलिंग कानून, पंचायती राज कानून, सहकारिता, प्रशासनिक कार्य क्षमता आदि बातों पर मुख्यमंत्री सुखाड़िया के साथ आर्य जी के गंभीर मतभेद पैदा हो गए। अंततः चौधरी कुंभाराम आर्य ने फरवरी 1956 में मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। इसके साथ ही उनके संघर्षमय जुझारू जीवन के एक अध्याय का पटाक्षेप हो गया और एक नए संघर्ष की शुरुआत हो गई।

कांग्रेस छोड़ने के बाद चौधरी कुंभाराम ने राजस्थान में जनता पार्टी का गठन किया और उसके संस्थापक अध्यक्ष बने। फरवरी 1967 में हुए चौथे आम चुनावों में किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। घटनाक्रम ने करवट ली। तत्कालीन राज्यपाल संपूर्णानंद ने कांग्रेस को अन्य दलों से बड़ा दल मानकर श्री मोहनलाल सुखाड़िया को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। विरोध खूब हुआ। बाद में कुंभाराम जी ने जनता पार्टी को भारतीय क्रांति दल में समाहित कर दिया। वे दूसरी बार 1968 में भारतीय क्रांति दल की ओर से राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और 1974 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। सन 1980 में सीकर लोकसभा क्षेत्र से सातवीं लोकसभा के लिए लोकदल प्रत्याशी के रूप में विजयी हुए।

चौधरी कुम्भाराम आर्य ने लंबी राजनीतिक यात्रा में उन्होंने अनेक पड़ाव पार किये, हर पड़ाव पर साजिश का शिकार हुए, उनके राजनीतिक जीवन की राह कंटकाकीर्ण रही। विभिन्न पार्टियों में अपने प्रखर व्यक्तित्व की छाप छोड़ी। साहस की मशाल जलाकर जिंदगी भर अंधेरे से जूझते रहे। कभी थके नहीं, कभी रुके नहीं, कभी हिम्मत नहीं हारी। उठापटक, द्वंद्व, संघर्ष का यह दौर मृत्यु तक चलता रहा। बाल्यकाल में गरीबी और अभावों से जूझना पड़ा, जवानी संकटों से लड़ते गुजरी, प्रौढ़ावस्था में राजनीति के घात-प्रतिघात के झँझावत को दिलेरी से सहा, जीवन की संध्या में एक दार्शनिक की स्थित प्रज्ञता को आत्मसात कर उतार-चढ़ाव को बिना किसी शिकायत के स्वीकार किया।

चौधरी कुंभाराम आर्य के निराले कथन -

चौधरी कुम्भाराम आमजन को अपनी बात आमजन की शब्दावली का इस्तेमाल कर प्रभावी ढंग से समझा देते थे। उनके कुछ लोकप्रिय कथन ये हैं -

- शोषण वह अमरबेल है जो एक बार किसी पेड़ के चिपकने के बाद उस पेड़ को बढ़ने नहीं देती। भारत में किसान व मजदूर दोनों सदियों से शोषित हैं। मेहनत व उत्पादन वे करते हैं पर उसका फल अमीर हड़प लेते हैं। शोषकों का चक्रव्यू तभी टूटेगा जब किसान वर्ग संगठित होकर शासक वर्ग को अपनी शक्ति रूपी लाठी से हांकेगा। सरकारें अमीर वर्ग की हितसाधक होती हैं जबकि किसान को मात्र घोषणाओं के द्वारा खुश करती रहती हैं।

- कानून इंसान से बड़ा नहीं है। बदलते जमाने की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कानून में संशोधन एवं बदलाव जरूरी है।

उलझी हुई समस्या को सुलझाने में कुम्भाराम जी माहिर थे। किसी पार्थी के काम विशेष के बारे में अधिकारी जब उनसे कहते थे कि यह कार्य नियमानुसार नहीं है तब चौधरी जी फाइल पर लिख देते थे कि नियम बदल दिया जावे और प्रार्थी का काम कर दिया जावे।

- राज्य व्यवस्था तो गन्ने के डण्ठल के समान है, जो संगठन शक्ति के दांत वालों के लिए तो रस भरा है परंतु बिना दांत वालों असंगठितों के लिए तो बांस की लाठी के समान है।

- जागृत एवं संगठित जनशक्ति का राजव्यवस्था/ सरकार पर जब दबाव एवं प्रभाव बराबर बना रहता है, तभी सरकार जनहित में जन कल्याणकारी ढंग से संचालित रहती है।

- मानव जितना प्रकृति से दूर रहेगा उतना ही दुखी रहेगा। अतः प्रकृति के समीप रहकर स्वतंत्र चिंतन करना जरूरी है।

राजस्थान के निर्माण और विकास में चौधरी साहब का योगदान अतुलनीय है। कुम्भाराम जी ठेठ देहाती परिवेश से उठकर राष्ट्रीय राजनीति के स्तर तक अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित करने वाले कुछ गिने- चुने नेताओं में शामिल थे। डॉ. लोहिया ने अपनी एक पुस्तक में चौधरी कुंभाराम की प्रशंसा करते हुए उन्हें 'धरती पुत्र' की संज्ञा दी थी। सादा जीवन और उच्च विचार के वे मूर्तिमान रूप थे। दीर्घकाल तक चौधरी कुंभाराम जी के निकट संपर्क में रहे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री दिवगंत भैरोंसिंह शेखावत ने चौधरी साहब को आदरांजलि देते हुए कहा था "स्मृतिशेष आर्य राज्य के स्वतंत्रता सेनानी एवं अग्रणी किसान नेता और जुझारू जनप्रतिनिधि थे, जिन्होंने सभी वर्गों, विशेषकर किसानों, के हितों के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष किया। समाज, प्रदेश एवं देश की समस्याओं के समाधान के प्रति उनका मौलिक एवं प्रखर चिंतन था। वे सदैव जन आकांक्षाओं से जुड़े रहे। सामान्य जीवन में धरातल से जुड़े लोगों तक उनकी गहरी पैठ होने के कारण उनकी सूझबूझ एवं बुद्धिमता अपूर्व थी। राजनीति में सक्रिय रहते हुए भी निरंतर अध्ययनशील रहना उनकी प्रकृति में शामिल था"।■

(पृष्ठ 6 का शेष...)

फुलवा से फूलन और फिर सांसद बनी...

ज्ञापन में रखने लगा। 1993 में मेरे द्वारा मुद्दा उठाया गया कि- जो फूलन देवी को टिकट देगा, निषाद समाज उसका साथ देगा। दूसरे ही दिन पूर्व प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह जी ने घोषणा किये कि फूलन देवी को जनता दल से चुनाव लड़ाएंगे।

नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी फूलन देवी के धर्मपिता व जीवनदान देने वाले हैं। उन्होंने फूलन को ग्वालियर कारगार की जिल्लत व यातना भरी नरक की जिंदगी से निकाल कर सम्मान की जिंदगी जीने की राह दिए। सपा के चुनाव चिन्ह पर मिर्जापुर-भदोही संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीताकर संसद में पहुँचाये। उस समय सामन्तियों द्वारा क्या-क्या नहीं कहकर गाली दी गयी। भाजपा के इशारे पर चलने वाला निषाद पार्टी के अध्यक्ष द्वारा नेताजी को फूलन देवी की हत्या का साजिशकर्ता बताकर दुष्प्रचार किया गया।

जब फूलन की हत्या हुई, उस समय तो केंद्र में भाजपा की सरकार थी। फूलन संसद की कार्यवाही में भाग लेकर भोजनावकाश के समय अशोका रोड स्थित अपने सांसद निवास जा रही थी, निवास के गेट पर शेर सिंह राणा ने उनकी हत्या किया। उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार थी व राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी को हत्या की सीबीआई जांच करानी चाहिए थी। आखिर एक सांसद व अंतर्राष्ट्रीय पटल पर नाम अंकित कराने वाली फूलन की हत्या को इतने हल्के में क्यों लिया गया, भाजपा ने फूलन हत्या कांड की सीबीआई जांच क्यों नहीं कराया? ताकि जनता के सामने असलियत आती। इसलिए नहीं कराया क्योंकि इसमें भाजपा के लोगों का हाथ था। यह इसलिए प्रमाणित है कि जब 2014 में भाजपा की सरकार बनी और राजनाथ सिंह गृहमंत्री बने। इसके बाद शेरसिंह राणा को तिहाड़ जेल से पेरोल पर छोड़ा गया, जो अब तक फिर वापस जेल नहीं गया। भाजपा ने मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव-2019 में शेरसिंह राणा को स्टार प्रचारक बनाया था। फूलन देवी सामाजिक न्याय व महिला सशक्तिकरण की प्रतीक हैं।

(पृष्ठ 5 का शेष...)

मूलनिवासी पहचान का मुद्दा राष्ट्र में ...

अधिकार बरकरार रहें इस बात की पुष्टि कर दी गई तथा यूएनओ में व्यापक चर्चा के बाद '21 दिसम्बर 1994 से 20 दिसम्बर 2004 तक प्रथम मूलनिवासी दशक' तथा प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को 'विश्व मूलनिवावसी दिवस' मनाने का फैसला लिया और विश्व के सभी देशों को मनाने के निर्देश दिए। विश्व के समस्त देशों में इस दिवस को मनाया जाने लगा किन्तु अफशोस भारत की ब्राह्मणवादी सरकारों ने मूलनिवासी लोगों के साथ धोखा करते हुए भारत में इस दिन के बारे में आज तक किसी को नहीं बताया और न ही आज तक मनाया। जबकि यूएनओ ने पुनः '16 दिसम्बर 2004 से 15 दिसम्बर 2014 तक' दूसरा मूलनिवासी दशक घोषित किया। जेनेवा के सम्मेलन में भारत सरकार ने अपने प्रतिनिधि के रूप में डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के सगे पौत्र मा. प्रकाश अम्बेडकर द्वारा यूएनओ को यह अवगत कराया कि भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा परिभाषित देशज लोग अर्थात मूलनिवासी भारतीय लोग ही नहीं हैं न ही यहां के एससी, एसटी से किसी प्रकार का सामाजिक, राजनीतिक आर्थिक व शैक्षिक पक्षपात हो रहा है।

इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ ने ग्लोबल इकोनॉमी के संबंध में मूलनिवासी लोगों को जो प्रतिनिधित्व मिलने वाला था, उसे मनुवादियों ने अपने में से एक मूलनिवासी के द्वारा ही समाप्त कर दिया। यूएनओ द्वारा पिछले 22 वर्षों से निरन्तर विश्व मूलनिवासी दिवस मनाया जा रहा है किन्तु भारत के मूलनिवासियों को इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं है। बामसेफ द्वारा मूलनिवासी लोगों को जागरूक करने के वास्ते हिन्दी पाक्षिक मूलनिवासी टाईम्स तथा अन्य भाषाओं में भी अखबार प्रकाशित कराए जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों की धारणा मनुवाद के खिलाफ अपने अधिकार पाने के लिए बनती जा रही है।

भारत में 'मूलनिवासी' शब्द की अवधारणा कोई नई नहीं है। माता सावित्रीबाई फूले ने भी अपने काव्य में शूद्र, अतिशूद्र लोगों को यहां का मूलनिवासी यानि नेटिव माना था। आक्रमणकारी आर्यों को बाहर से आया हुआ बताया जिन्होने अपनी चालाकी और धूर्तता से अन्य सत्ताधारी शासकों से मिलकर यहां के भोले-भाले मूलनिवासियों को सत्ता से बाहर कर दिया। लेकिन यहां के नेटिव, मूलनिवासी अपने शौर्य, दयालुता और प्रेम आदि जीवन मूल्यों में विश्वास रखते आए हैं। इन शूरवीर जननायकों में सम्राट अशोक, छत्रपति शिवाजी महाराज, महारानी ताराबाई, अम्बाबाई, शाहूजी महाराज आदि जिन्होने समतामूलक समाज बनाने के लिए अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। राष्ट्रपिता जोतिबा फूले ने अपनी किताब 'गुलामगीरी' में लिखा है कि-

➢"सैकड़ो साल से जब से इस देश में ब्राह्मणों की सत्ता कायम हुई है तब से शूद्र-अतिशूद्र लगातार जुल्म और शोषण के शिकार हैं। ये लोग हर तरह की यातनाओं और कठिनाईयों में अपने दिन गुजार रहे हैं। इसलिए इन लोगों को इन बातों की ओर ध्यान देना चाहिए और गंभीरता से सोचना चाहिए कि ये लोग अपने आपको कैसे ब्राह्मण- पंडा- पुरोहितों की जुल्म-ज्यादतियों से मुक्त कर सकते हैं। यह कहा जाता है कि इस देश में ब्राह्मण-पुरोहितों की सत्ता को कायम हुए लगभग तीन हजार साल से ज्यादा का समय बीत गया होगा। वे लोग परदेश से यहां आए। उन्होंने इस देश के मूलनिवासियों पर बर्बर हमले करके इन लोगों को अपने घर-बार से, जमीन जायदाद से वंचित करके अपना गुलाम बना लिया। सैकड़ों साल बीत जाने के बाद भी इन लोगों में बीती घटनाओं की विस्मृतियां ताजी होते देखकर कि ब्राह्मणों ने यहां के मूलनिवासियों को घर-बार, जमीन- जायदाद से बेदखल कर, इन्हें अपना गुलाम बनाया है, इस बात के प्रमाणों को ब्राह्मण-पंडा-पुरोहितों ने तहस- नहस कर दिया। दफनाकर नष्ट कर दिया।"

फूले साहब ने यहां पर साफ तौर पर लिखा है कि शूद्र-अतिशूद्र यानि एससी, एसटी, ओबीसी इस देश के 'मूलनिवासी' हैं तथा ब्राह्मण परदेश से भारत में आए हैं अर्थात विदेशी हैं।

बाबा साहब ने अपने कई स्थानों पर आर्यों को बाहर का बताया है-

➢अछूत ग्रन्थ के पृष्ठ संख्या 300 पर बाबा साहेब ने मत व्यक्त किया है कि "तमिल या द्रविड़ केवल दक्षिण भारत की भाषा नहीं थी किन्तु आर्यों के आगमन के पूर्व समस्त देश की भाषा थी और कश्मीर से रामेश्वर तक बोली जाती थी।

➢28 अक्टूबर 1951 को पंजाब के लुधियाना शहर की जनसभा में कहा था कि "जब आर्य भारत में आए तब वर्ण व्यवस्था प्रतिस्थापित हुई।

➢15 अक्टूबर 1956 को धम्मदीक्षा के उपलक्ष्य में दीक्षाभूमि नागपुर में दिए भाषण में कहा कि "नागलोग, आर्यो के भयंकर शत्रु थे। आर्य और अनार्यों में भयंकर युद्ध हुए। आर्यों द्वारा नाग लोगों को जलाने के उदाहरण भी पुराणों में मिलते हैं।"

इस प्रकार बाबा साहब ने भी माना है कि आर्य यानि ब्राह्मण-पुरोहित बाहर से आए तथा आर्यों का यहां के मूलनिवासी नाग, अनार्यो से भयंकर युद्ध हुआ।■

(पृष्ठ 4 का शेष...)

गजब का सियासी खेल 'संविधान...

गया, फिर मूलनिवासियों के आरक्षण में खून खराबा क्यों? और सन् 1950 से लेकर आज तक उसे पूरा क्यों नहीं किया गया? इसमें दोषी कौन? क्या कांग्रेस और भाजपा दोनों दोषी नहीं हैं? क्या इन दोनों दलों ने मूलनिवासियों को उनका संवैधानिक अधिकार न प्रदान कर संविधान की हत्या नहीं किया? बाबू जगदेव प्रसाद का नारा, 'धन-धरती और राजपाट में नब्बे भाग हमारा है' अर्थात समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय! क्या भाजपा और कांग्रेस ने उन्हें प्रदान किया? क्या दोनों दलों ने मिलकर संविधान की हत्या नहीं किया है?

भारत का संविधान धर्मनिरपेक्षता का पक्षधर है अर्थात जनप्रतिनिधि (सांसद, विधायक और मन्त्री) किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेंगे। धर्म व्यक्तिगत होता है। वे प्रतिबद्ध होंगे हम अर्थात जनता के संवैधानिक अधिकारों (शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के प्रति) न कि मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च के लिए। फिर भी आर्य संस्कृति के रक्षक आर्य-पुत्र तथा भारत के मूलनिवासी जनप्रतिनिधि सभी हमाम में नंगे दिखाई देते हैं। सभी के सभी धर्म के प्रति प्रतिबद्ध नजर आते हैं। धार्मिक स्थलों के निर्माण में खुले आम चन्दा देते हैं। फिर कांग्रेस ही क्यों, क्या सभी के सभी संविधान के हत्यारे नहीं हैं?

एक तरफ एक हाथ में भारत का संविधान और दूसरे हाथ से परशुराम का फरसा और कृष्ण का सुदर्शन-चक्र और दूसरी तरफ पी.डी.ए. के लोग जो नारा लगाते हैं 'जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी' फिर ऐसे लोग जो जाति को जमात में न बदलकर अपनी जातियों पर गर्व करते हैं, क्या ऐसे लोग भारतीय संविधान और लोकतंत्र के हत्यारे नहीं हैं? जो भाजपा सरकार सत्ता के स्वाद के लिए समता मूलक समाज की स्थापना को दरकिनार कर अश्पृश्यता का बीजारोपण करने के लिए दुकानों और ठेलों पर सामाजिक पहचान द्वारा दंगा फसाद के लिए अधिसूचना जारी करती है जिससे मुजफ्फरनगर और कैराना में 2013 जैसे साम्प्रदायिक दंगे की पुनरावृत्ति हो सके और भाजपा की लड़खड़ाती सत्ता को बचाया जा सके। ऐसे खिलाड़ियों की खेल समझने की जरूरत है। क्या ऐसे खूनी खेल खेलने वाले संविधान के हत्यारे नहीं हैं?

संविधान के सबसे बड़े हत्यारे तो वे हैं जो जिस संविधान से लाभ लेकर मान, सम्मान और स्वाभिमान हासिल करने के वावजूद अपने निराश्रित और दरिद्र समाज की तरफ झांकते तक नहीं, जिस समाज में उनका जन्म हुआ। संविधान के हत्यारे ही संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा कर रहे हैं जिससे उनकी डूबती नैया को भारत के मूलनिवासी बचा सकें। घी चाहे इस थाली में गिरे अथवा उस थाली में फायदा आर्य-पुत्रों का ही होना है। इस लिए मूलनिवासियों को तथागत बुद्ध के सन्देश अत्त दीपो भव को अंगीकृत कर शासक जमात बनने के लिए अथक प्रयास करना चाहिए।■

संगठनात्मक गतिविधियां

बामसेफ उत्तर प्रदेश (पश्चिम) राज्य इकाई का पुनर्गठन

मूनिटा संवाददाता, मेरठः बामसेफ की सेंट्रल एक्जीक्यूटिव कमेटी नागपुर के निर्देशानुसार बामसेफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य इकाई का वार्षिक पुनर्गठन दिनांक 30 जून 2024 को मेरठ के कंकरखेड़ा स्थित डॉ. अंबेडकर भवन में प्रात 11 बजे से दोपहर 3.30 बजे के बीच अनिल कुमार उज्जैनवाल सीईसी सदस्य एवं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष तथा मू. उत्तर प्रदेश पश्चिम के प्रभारी की अध्यक्षता में एवं मू. आर. के. गौतम पूर्व सीईसी सदस्य एवं पूर्व प्रभारी उ.प्र.(पश्चिम) की उपस्थिति में संपन्न हुआ। बामसेफ बैठक की शुरुआत बामसेफ के राष्ट्रीय गीत से हुई।

तत्पश्चात सर्वप्रथम कार्यकारिणी के महासचिव मू. रत्नेश कुमार ने 14 मई 2023 से 29 जून 2024 तक की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए इस दौरान राज्य में संपन्न गतिविधियों विशेषकर 27 व 28 मई 2023 को मुरादाबाद में संपन्न राज्य अधिवेशन, एवं साहिबाबाद, मोदीनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, गाजियाबाद, हापुड़ में संपन्न कार्यकारिणी की बैठके और माह अगस्त, सितंबर 2023 में राज्य के विभिन्न जनपद मुरादाबाद, बिजनौर, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, गाजियाबाद, मेरठ और सहारनपुर में सफलता पूर्वक क्लस्टर अधिवेशनों का आयोजन किया गया। इन सबके अलावा राज्य के अध्यक्ष बी. पी. सिंह बुद्धप्रिय द्वारा केंद्रीय निर्देशन में समय-समय पर ऑन लाइन मीटिंग्स में अपनी भागीदारी निभाई गई। राज्य के कोषाध्यक्ष मू. वेदपाल द्वारा राज्य की ओर से केंद्र को क्लस्टर अधिवेशन से 128000 का अंशदान एवं राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए राज्य की ओर से 134100 का सहयोग देने की जानकारी उपस्थित सदन को दी। बैठक कार्यवाही के एजेंडे अन्य विषयों के अंतर्गत सदन में सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का समाधान मंच से राज्य के अध्यक्ष द्वारा किया गया और कुछ भ्रांतियों का निवारण राज्य के पूर्व प्रभारी मू. आर. के. गौतम द्वारा किया गया।

बैठक की अध्यक्षता कर रहे मू. अनिल कुमार उज्जैनवाल के निर्देशन में राज्य के अध्यक्ष बी. पी. सिंह बुद्धप्रिय ने अपनी वर्तमान राज्य कार्यकारिणी को तुरंत प्रभाव से भंग करने की घोषणा की और उपस्थित कार्यकारिणी के सदस्यों का सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।

बामसेफ केंद्रीय समिति द्वारा जारी पत्र के अनुसार मू. अनिल कुमार उज्जैनवाल द्वारा मेरठ निवासी मू. चरन सिंह के नाम की राज्य के नए अध्यक्ष के रूप में घोषणा की गई और नई कार्यकारिणी के गठन के लिए प्रभारी एवं सदन के अध्यक्ष मू. अनिल कुमार उज्जैनवाल, राज्य के पूर्व अध्यक्ष बी. पी. सिंह बुद्धप्रिय, पूर्व प्रभारी मू. आर. के. गौतम, सहित पांच सदस्यों की कमेटी के विचार विमर्श के उपरांत इक्कीस सदस्यों की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। उनके नाम एवं पद की घोषणा मू. अनिल उज्जैंवल द्वारा की गई और तुरंत बाद चयनित सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाने के साथ ही सभी के प्रति आभार व्यक्त किया गया और बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

बामसेफ उत्तर प्रदेश (पश्चिम) राज्य कार्यकारिणी की सूची

मू. चरन सिंह मेरठ	अध्यक्ष
मू. मुकेश कुमार	उपाध्यक्ष
मू. धर्मवीर सिंह	उपाध्यक्ष
मू. तेजवीर सिंह	उपाध्यक्ष
मू. डा प्रतिभा	उपाध्यक्ष
मू. रत्नेश कुमार	महासचिव
मू. राज सिंह	संगठन सचिव
मू. रविकांत	संगठन सचिव
मू. रनवीर सिंह	संगठन सचिव
मू. रणवीर सिंह	संगठन सचिव
मू. लोकेश कुमार	संगठन सचिव
मू. विनोद तेजियांन	संगठन सचिव
मू. जयवीर बौद्ध	मीडिया, प्रभारी
मू. वेदपाल	कोषाध्यक्ष
मू. बी पी सिंह 'बुद्धप्रिय'	प्रशिक्षक
मू. सतीश कुमार	सदस्य
मू. विमल कु कटारिया	सदस्य
मू. श्योदान सिंह।	सदस्य
मू. शिवदत्त भारती	सदस्य
मू. रतन सिंह	सदस्य
मू. राजेश चौहान	सदस्य

■■■

पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) प्रदेश इकाई झारखंड की कार्यकारिणी का पुनर्गठन सफलतापूर्वक सम्पन्न

मूनिटा संवाददाता, रांचीः दिनांक 30 जून, 2024 को बगाईचा नामकुम रांची में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) का एक प्रदेश स्तरीय बैठक सफलतापूर्वक संपन्न की गई। जिसमें पीपीआई (डी) 2023-24 की प्रदेश कार्यकारिणी को भंग करके वर्ष 2024-25 के किए नई कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया गया।

झारखंड के रांची स्थित बगाईचा नामकुम में 30 जून, 2024 दिन रविवार को पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) प्रदेश इकाई झारखंड की एक बैठक सफलतापूर्वक सम्पन्न की गई। इस बैठक की अध्यक्षता पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मूलनिवासी उमेश रजक ने की, बैठक में केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्यों समेत, राज्य कार्यकारिणी सदस्य, लोकसभा प्रत्याशी, जिला कार्यकारिणी सदस्य एवं प्रखंड स्तरीय कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित रहे। इस बैठक में सर्वप्रथम पीपीआई(डी) प्रदेश कार्यकारिणी की वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन और आय-व्यय का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया। जिसके बाद प्रदेश कार्यकारिणी वर्ष 2022-23 को भंग किया गया और नए प्रदेश कार्यकारिणी की पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू की गई।

बैठक की अध्यक्षता कर रहें मूलनिवासी उमेश रजक ने पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) प्रदेश इकाई झारखंड के अध्यक्ष की घोषणा की। जिसके बाद विधिगत तरीके से नए कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया गया। जिसमें अध्यक्ष के रूप में मूलनिवासी अशोक कुमार को नियुक्त किया गया। जबकि उपाध्यक्ष के रूप में मूलनिवासी सुधा रानी बेसरा, मूलनिवासी डॉ. अनिल महतो, मूलनिवासी जावेद अंसारी और मूलनिवासी करमलाल उरांव जी को नियुक्त किया गया। महासचिव के रूप में मूलनिवासी दीपक कुमार, कोषाध्यक्ष के रूप में मूलनिवासी महेश चंद्र दास, कार्यालय सचिव के रूप में मूलनिवासी डॉ. इंदल कुमार और मीडिया प्रभारी के रूप में मूलनिवासी प्रकाश दास जी को नियुक्त किया गया। वहीं संगठन सचिव के रूप में मूलनिवासी संतोष पाल, मूलनिवासी अनिल वरन महतो, मूलनिवासी अनुराधा कुमारी और मूलनिवासी अनूप लकरा जी को नियुक्त किया गया।

जबकि प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य के रूप में मूलनिवासी कृष्णा कुमार ठाकुर, मूलनिवासी बिरेंद्र राम, मूलनिवासी अमीना खातून, मूलनिवासी रीता टोप्पो, मूलनिवासी शिव कुमार राम, मूलनिवासी सद्दाम अंसारी, मूलनिवासी फ्रांसिस मुर्मू, मूलनिवासी विनोद कुमार कुशवाहा, मूलनिवासी संतोष मेहता, मूलनिवासी राजेश मुंडा, मूलनिवासी राम नायक और मूलनिवासी रविंद्र यादव को नियुक्त किया गया।■

मूलनिवासी संघ जनपद रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड की नई कार्यकारिणी का गठन

मूनिटा संवाददाता, रूद्रप्रयागः दिनाक 17 जुलाई 2024 को मूलनिवासी संघ जनपद रुद्रप्रयाग की बैठक विकास खण्ड भवन अगस्त्यमुनि में की गयी जिसमें जिला इकाई रुद्रप्रयाग मूलनिवासी संघ का गठन किया गय, जिसकी अध्यक्षता राज्य उपाध्यक्ष मू. मनोज तिनसोला ने की। बैठक में सत्र 2023-24 का लेखा-जोखा अध्यक्ष व महामंत्री ने रखा अध्यक्ष द्वारा 2023-24 की कार्यकारिणी को भंग किया गया और नयी कार्यकारणी का गठन किया गया। सत्र 2024-25 के लिए नई कार्यकारिणी इस प्रकार है-

अध्यक्ष	- माधू लाल आर्य
उपाध्यक्ष	- अंकित आर्य
उपाध्यक्ष	- कौशल्या श्रीकोटी
महासचिव	- राजकपूर मैर्य
कोषाध्यक्ष	- अंजना तिनसोला
संगठन सचिव	- अंकिता
कार्यालय सचिव	- विनोद तिनसोला

If undelivered please return to
मूलनिवासी टाईम्स
527-ए, नेहरू कुटिया, कबीर बस्ती, मल्कागंज,
दिल्ली-110007, दूरभाष : 9318363969

RNI No. DELHIN/2003/11385
Postal Regd. No. DL(N)/310/2022-24
Date of Publication : 30 July 2024
Date of Postinig : 31 July 2024

जातिय व मानसिक उत्पीड़न के खिलाफ आंदोलन व प्रशासन को ज्ञापन दिया गया

मूनिटा संवाददाता, चमोलीः जनपद चमोली उत्तराखंड में ब्लाक जोशीमठ के सुभाई मूलनिवासी गांव में धार्मिक कार्य में बजाये जाने वाले वाद्य यंत्र (ढोल दमाऊं) जो मूलनिवासी जाति बाजगी समुदाय के न जाने से सर्वण जाति के लोगों द्वारा जातिय उत्पीड़न जल, जंगल पर काश्तकारी पर प्रतिबंध, जातिसूचक शब्दों का प्रयोग, साथ ही गांव से निकल जाने के विरोध में गोपेश्वर में मूलनिवासी संघ जिला प्रभारी पुष्पा कोहली के नेतृत्व के साथ अन्य संगठनों ने भाग लिया। उस घटना पुरजोर विरोध मूलनिवासी समुदाय के लोगों द्वारा किया गया।

जनपद चमोली उत्तराखंड में ब्लाक जोशीमठ के सुभाई मूलनिवासी गांव में धार्मिक कार्य में बजाये जाने वाले वाद्य यंत्र (ढोल दमाऊं) जो मूलनिवासी जाति बाजगी समुदाय के न जाने से सर्वण जाति के लोगों द्वारा जातिय उत्पीड़न जल जंगल पर काश्तकारी पर प्रतिबंध, जातिसूचक शब्दों का प्रयोग, साथ ही गांव से निकल जाने के विरोध में गोपेश्वर में समस्त अनुसूचित जाति के युवा साथियों, माताओं एवं बहनों द्वारा विरोध प्रदर्शन रैली का आयोजन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम में चमोली के समस्त मूलनिवासी संगठनों द्वारा अपनी सहभागिता सुनिश्चित की गई। रैली में उपस्थित सभी साथीगणों द्वारा सुभाई गांव की घटना की घोर निन्दा करते करते हुए उन्हें सामाजिक न्याय दिए जाने के संबंध में जिला प्रशासन से मांग की गई और चेतावनी दी गई की यदि प्रशासन द्वारा उचित कार्यवाही नही की जाती है तो राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर विशाल विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम किया जाएगा। कार्यक्रम की मुख्य भूमिका में चमोली के युवा साथीगण पंकज, गोविन्द एवं अन्य युवा साथीगण और अन्य संगठनों से मू. पुष्पा कोहली, मू. सुनीता कपरवाल, मू. गिरीश आर्य, मू. पुष्कर बेछवाल, मू. राकेश टम्टा, मू. रोमेश शाह, मू. धनी आगरी, मू. जंगी रडवाल आदि रहे।■

अमृत काल में जिंदा रहने की जंग जारी

मूनिटा संवाददाताः हम भले ही अमृत महोत्सव का जश्न मना ले लेकिन यह जश्न देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान नहीं हैं। फुटपाथ, फ्लाईओवर, अस्पतालों और रेलवे स्टेशनों में रहने वाले सैकड़ो लोग आज भी जिंदा रहने के लिए जंग लड़ रहे हैं।

इस देश की फुटपाथों में, रेलवे स्टेशनों में फ्लाईओवरों के नीचे और अस्पतालों के बाहर हमे चादर बिछाए कई लोग दिख जातें हैं। पंखे, कूलर और एसी के बावजूद इस भीषण गर्मी में हालत खराब हैं, तो जरा सोचिए इस मौसम में खुले आसमान के नीचे इनका जीवन कैसा होगा? ऐसा नहीं है कि इन लोगों का शरीर हम और आप जैसों से अलग हैं या इनमे ज्यादा गर्मी बर्दास्त करने की क्षमता हैं। इन लोगों को भी हम और आप जैसों की तरह ही शरीर को जला देने वाली भीषण गर्मी का अहसास होता हैं और हर मौसम में ये लोग जिंदा रहने की जंग लड़ते हैं। जरूरी नहीं की जिंदा रहने की इस जंग में इन लोगों की जीत ही हो, ये लोग इस जंग में कई बार हार जाते हैं और अपनी जान गवां बैठते हैं।

आंकड़ों की माने तो बीते 1 मई से 19 जून तक दिल्ली की सड़को में 789 अज्ञात शव मिले हैं। मतलब 1 मई, 2024 से 19 जून, 2024 तक औसतन हर रोज पंद्रह अज्ञात शव मिले हैं। सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट नामक एक गैर सरकारी संस्था के शोध से पता चलता है कि, दिल्ली की सड़कों पर बीते एक दशक में कुल तीस हजार सात सौ इकतीस (30,731) अज्ञात शव मिले हैं।

साल 2024 की बात करें तो सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल दिल्ली की सड़को से जनवरी में 306, फरवरी में 231, मार्च में 284, अप्रैल में 292, मई में 441 और 19 जून तक 348 अज्ञात शव मिले हैं।

इस संस्था के संस्थापक सुनील कुमार बताते हैं कि, उन्होंने अप्रैल के आखिर में ही दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड को पत्र लिखकर बेघर लोगों की स्थिति से अवगत करवाया था, लेकिन इसे बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया गया और यही कारण है कि दिल्ली की सड़कों पर 11 जून से 19 जून के बीच 192 लोगों की जान चली गई। सुनील कुमार बताते हैं कि इस समस्या को लेकर उन्होंने दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज से लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को भी पत्र लिखे हैं, लेकिन सरकार ने इन बेघरों के लिए कुछ नहीं किया।

दिल्ली की सकड़ो में गुजर बसर करने वालों की संख्या लाखों में हैं। जिन्हें जिंदा रहने और अपना पेट भरने के लिए जंग करना पड़ता हैं। भीषण गर्मी भी रोज उनका इम्तिहान लेती हैं। कब इनका दिन आखरी हो ये इनको भी पता नहीं होता।

सड़को पर रहने वाले सैकड़ो लोग कभी भूख से तो कभी दवाईयों की कमी से मर जाते हैं। इन सबसे अगर बच भी जाए तो बदलता मौसम इनकी जान ले लेता हैं, क्योंकि इनके पास सिर छुपाने के लिए घर नहीं हैं। लाखों बेघरों की संख्या वाले इस दिल्ली शहर में कुल 343 रैन बसेरे हैं, जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती हैं। दिल्ली सरकार का दावा है कि इन बसेरों में बीस हजार से अधिक लोगों की रहने की क्षमता है। लेकिन इनकी क्षमता और सुविधा ऐसी नहीं है कि इसमें इतने लोग रह सकें। ये समस्या सिर्फ दिल्ली की नहीं हैं बल्कि अन्य शहरों में भी सैकड़ो लोग खुले आसमान में अपना जीवन यापन करते हैं।■

मूलनिवासी टाईम्स की सदस्यता शुल्क जमा करने के लिए बैंक खाते का विवरण
NAME OF ACCOUNT HOLDER: **MOOLNIWASI TIMES** A/C No. : **2848101014322** IFS Code: **CNRB0002848**
Bank : Canara Bank, Hansraj College Branch, Delhi University, Delhi-110007, Email: moolniwasitimes@ gmail.com

मूलनिवासी टाईम्स के इस अंक में प्रकाशित लेखकों के विचारों से सम्पादक सहमत हैं ही, ऐसा नहीं है।
मुद्रक एवं प्रकाशक दीपक मधुकर वैद्य द्वारा मालिक बामसेफ संगठन के लिए वैदिक मुद्रणालय, 3957, गली अहिरान, पहाड़ी धीरज, दिल्ली-110006 यहां मुद्रित कर, कार्यालय : 527-ए, नेहरू कुटिया, कबीर बस्ती, मल्कागंज, दिल्ली-110007 से प्रकाशित किया। - संपादक : मनोज कुमार